[1][हरियाणा कृषि उपज मण्डी (साधारण) नियम, 1962

पंजाब राजपत्र (असाधारण) विधायी अनुपूरक भाग– III में दिनांक 11–7–1962 को प्रकाशित

1. संक्षिप्त नाम, [2](—) तथा प्रारम्भ .– ये नियम [3][हरियाणा] कृषि उपज (साधारण) नियम, 1962 कहे जा सकते हैं।

(2) ये तुरन्त लागू होंगे।

2. परिभाषाएं .– इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(1) "अधिनियम" से अभिप्राय है, [4][हरियाणा] कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961;

[5](1क) "अभिकरण" से अभिप्राय है, अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में फलों तथा सब्जियों के मामले में फीस संग्रहण करने के लिए मण्डी समिति द्वारा प्राधिकृत हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम, 1984 (1984 का 22) के उपबन्धों के अधीन ऐसे रूप में रजिस्टर्ड कोई व्यक्तिगत सोसाइटी या कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन ऐसे रूप में रजिस्टर्ड कम्पनी या भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अधीन ऐसे रूप में रजिस्टर्ड फर्म;

(2) "खरीददार" में शामिल है, किसी अन्य व्यक्ति की ओर से उसके एजेंट या नौकर या कमीशन एजेंट के रूप में कोई कृषि उपज खरीदने वाला व्यक्ति ;

(3) "उप–विधि" से अभिप्राय है, धारा 3 की उपधारा (14) या धारा 44 की उपधारा (1), जैसी भी स्थिति हो, के अधीन बनाई गई उप–विधि;

(4) "कमीशन एजेंट" से अभिप्राय है, कोई व्यवहारी जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से तथा किसी कमीशन के प्रतिफल में किसी कृषि उपज की खरीद या विक्रय करता है या करने का प्रस्ताव करता है या ऐसी खरीद या विक्रय करने के लिए कोई बात करता है या बात करने का प्रस्ताव करता है;

(4क) "प्रमाणित बीज" से अभिप्राय है, बीज जो बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) तथा बीज नियम, [6](1968) द्वारा उपबन्धित प्रमाणन के लिए तथा पात्र जिसका प्रमाण पत्र है टैग संलग्न है, की सभी अपेक्षाओं को पूरा करता है ;

(5) "निदेशक कृषि" से अभिप्राय है, निदेशक, कृषि, हरियाणा;

(6) "उपायुक्त" से अभिप्राय है, अधिसूचित मण्डी क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले जिले का उपायुक्त या, यदि ऐसा क्षेत्र एक से अधिक जिलों में स्थित है, तो इन जिलों का एक उपायुक्त जिसे इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;

[7]["(6क) किसान उत्पादक संगठन से अभिप्राय है, किसान की उपज के समुच्चयकर्ता की भूमिका का अभिनय करने वाला रजिस्टर्ड किसान उत्पादक संगठन जो कृषि उत्पादन में लगे अधिसूचित मंडी क्षेत्र के निवासी है ;

(7) "प्ररूप" से अभिप्राय है, इन निमयों से संलग्न प्ररूप;

---

1. हरियाणा सरकार अधिसूचना संख्या का.आ. 13/ह.अ. 23/1961/धा. 43/2016 दिनांक 23–5–2016 द्वारा "पंजाब" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया।
2. "विस्तार" शब्द हरियाणा अधिसूचना दिनांक 26–2–1982 द्वारा लोप किया गया।
3. हरियाणा सरकार अधिसूचना संख्या का.आ. 13/ह.अ. 23/1961/धा. 43/2016 दिनांक 23–5–2016 द्वारा "पंजाब" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया।
4. हरियाणा सरकार अधिसूचना संख्या का.आ. 13/ह.अ. 23/1961/धा. 43/2016 दिनांक 23–5–2016 द्वारा "पंजाब" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया।
5. हरियाणा अधिसूचना संख्या 2310–कृषि 5(1) 2003/25261, दिनांक 15–11–2003 द्वारा जोड़ा गया।
6. हरियाणा अधिसूचना दिनांक 2–2–1990 द्वारा प्रतिस्थापित।
7. हरियाणा सरकार अधिसूचना संख्या का.आ. 13/ह.अ. 23/1961/धा. 43/2016 दिनांक 23–5–2016 द्वारा रखे गए।

(8) "अनुषंगिक प्रभार" से अभिप्राय है, नीलामी प्रभार में बोली की अन्तिमता से पूर्व कृषि उपज का व्यापार करने के सम्बन्ध में अर्पित सेवाओं के बदले में विक्रेता द्वारा भुगतान योग्य प्रभार जैसे कि माल उतारने, साफ करना तथा छंटाई करना; [1](---)

(9) "कच्चा आढतिया" से अभिप्राय है, कोई व्यवहारी जो कमीशन के प्रतिफल में कृषि उपज बेचने के लिए अपनी सेवाएं देता है;

(10) "अनुज्ञप्तिधारी" से अभिप्राय है, इस नियमों या इसके द्वारा निरसित नियमों के अधीन जारी कोई अनुज्ञप्ति रखने वाला कोई व्यक्ति;

[2](10क) गृह के सम्बन्ध में "रखरखाव" में स्थानीय दरों तथा करों तथा बिजली तथा पानी के लिए प्रभारों का भुगतान शामिल होगा;

(11) "मण्डी प्रभार" से अभिप्राय है, नीलामी में बोली की अन्तिमता के बाद कृषि उपज का व्यापार करने के सम्बन्ध में अर्पित सेवाओं के बदले में खरीददार द्वारा भुगतानयोग्य सभी प्रभार जैसे कि कच्चे आढतिए का कमीशन, दलाली, नीलामी प्रभार, पल्लेदारी, भराई, तुलाई तथा सिलाई के लिए या पारिश्रमिक;)[3]

(12) "पल्लेदार" से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जो कृषि उपज को लादने, खाली करने, तोलने, मापने, साफ करने तथा छंटाई करने में सहायता करता है;

[4][12(क) 'परिसर' से अभिप्राय है, मुख्य मण्डी प्रांगण/उप मण्डी प्रांगण में सामान्य प्लैटफार्म के सामने कृषि उपज के प्रदर्शन के लिए खुले स्थान सहित स्वतन्त्र भूतल दुकान ; " ;

(13) "प्रगतिशील उत्पादक" से अभिप्राय है, कोई उत्पादन जो कृषि निदेशक की राय में उन्नत पद्धति में कृषि उपज पैदा करता है;

(14) "रजिस्ट्रार" से अभिप्राय है, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, हरियाणा;

(15) "विक्रेता" में शामिल है किसी अन्य व्यक्ति की ओर से उसके एजेंट के रूप में कृषि उपज बेचने वाला कोई व्यक्ति;

[5](16) उप-मण्डल अधिकारी (सिविल) से अभिप्राय है अधिसूचित मण्डी क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले उप मण्डल का उप-मण्डल अधिकारी (सिविल) या यदि ऐसा क्षेत्र एक उप-मण्डल से अधिक में स्थित है, तो इन उप-मण्डलों का एक उप-मण्डल अधिकारी (सिविल) जिसकी अधिकारिता में मण्डी समिति का मुख्यालय अवस्थित है।

[6]["(17) व्यापारी से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जो अधिसूचित कृषि उपज में व्यापार करता है;

(18) "थोक व्यवहारी" से अभिप्राय है, कोई व्यापारी जो मंडी में विक्रेता से कृषि उपज अधिकांश मात्रा में क्रय करता है तथा परचूनियों को बेचता है।]

3. **बोर्ड का गठन। (धारा 3 तथा 43 (2) (1))** .– गैर-सरकारी सदस्यों को नामजद करने के लिए.–

(i) धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (i) के अधीन [7](मुख्य प्रशासक) प्रत्येक जिले से एक नाम का पैनल प्रस्तुत करेगा;

---

1. अधिसूचना संख्या 1593-आरडी-1-74/8126, दिनांक 3 मई, 1974 द्वारा लोप किया गया।
2. हरियाणा अधिसूचना दिनांक 1-8-1969 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. हरियाणा अधिसूचना दिनांक 12-9-1975 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. हरियाणा सरकार अधिसूचना संख्या का.आ. 13/ह.अ. 23/1961/धा. 43/2016 दिनांक 23-5-2016 द्वारा रखी गई।
5. हरियाणा अधिसूचना दिनांक 4-9-1973 द्वारा जोड़ा गया।
6. हरियाणा सरकार अधिसूचना संख्या का.आ. 13/ह.अ. 23/1961/धा. 43/2016 दिनांक 23-5-2016 द्वारा रखी गई।
7. हरियाणा अधिसूचना दिनांक 2-12-1980 द्वारा "निदेशक" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(ii) धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के उप–खण्ड (ii) के अधीन कृषि निदेशक तीन नामों का पैनल प्रस्तुत करेगा;

(iii) धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के उप–खण्ड (iii) के अधीन कृषि निदेशक प्रत्येक मण्डल से दो [1](आठ नामों) का पैनल प्रस्तुत करेगा;

(iv) धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के उप–खण्ड (iv) के अधीन [2](मुख्य प्रशासक) प्रत्येक जिले से एक नाम का पैनल प्रस्तुत करेगा;

(v) धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के उप–खण्ड (v) के अधीन रजिस्ट्रार प्रत्येक मण्डल से दो [3](आठ नामों) का पैनल प्रस्तुत करेगा;

(vi) धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के उप–खण्ड (vi) के अधीन [4](मुख्य प्रशासक) प्रत्येक जिले से एक नाम का पैनल प्रस्तुत करेगा;

(vii) धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के उप–खण्ड (vii) के अधीन [5](मुख्य प्रशासक) प्रत्येक मण्डल से दो [6](आठ नामों) का पैनल प्रस्तुत करेगा;

(2) उपनियम (1) के अधीन प्राप्त नामों के पैनल राज्य सरकार पर बाध्यकारी नहीं होंगे।

(3) बोर्ड के गैर–सरकारी सदस्यों में आकस्मिक रिक्तियां उप–नियम (1) में निर्दिष्ट रीति में नामों का पैनल मांगते हुए भरी जाएंगी।

(4) गैर–सरकारी सदस्यों की पदावधि ऐसी तिथि से प्रारम्भ होगी जिसको उनकी नियुक्ति राजपत्र में अधिसूचित की गई है।

[4. **बोर्ड के अध्यक्ष, मुख्य प्रशासक तथा सचिव के कृत्य तथा शक्तियां।** (धारा 3(1) तथा (2)).– (1) बोर्ड का अध्यक्ष बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(2) मुख्य प्रशासक.–

(क) अधिनियम के प्रशासन के लिए जिम्मेवार होगा तथा बोर्ड के कर्मचारियों तथा समितियों के कर्मचारियों पर सामान्य नियन्त्रण का प्रयोग करते हुए इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी अन्य उपबन्ध के अध्यधीन होगा।

(ख) विभागाध्यक्ष को शक्तियों का उपभोग करेगा जो कृषि विभाग से सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में कृषि निदेशक द्वारा उपभोग की जा रहीं है;

(ग) समितियों के बजट अनुमोदित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा; तथा

(घ) बोर्ड के वार्षिक बजट को तैयार करने के लिए जिम्मेवार होगा।

(3) बोर्ड का सचिव, बोर्ड से सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में उन्हीं शक्तियों का उपभोग करेगा जो उस विभाग के मामलों के सम्बन्ध में कृषि विभाग में कार्यालय अध्यक्ष द्वारा उपभोग की जा रही हैं][7]

5. **मामले जिन पर बोर्ड उप–विधियां बना सकता है** .– (धारा 3 (14) (ग)) .– धारा 3 की उपधारा (14) में विनिर्दिष्ट मामलों के अतिरिक्त, बोर्ड निम्नलिखित को विनियमित करने के लिए उप–विधियां बना सकता है–

---

[1] हरियाणा अधिसूचना संख्या 1452–कृषि, धा. (1)–96/1183, दिनांक 15–5–1996 द्वारा "चार नामों" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[2] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 2–12–1980 द्वारा "निदेशक" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[3] हरियाणा अधिसूचना संख्या 1452–कृषि, धा. (1)–96/1183, दिनांक 15–5–1996 द्वारा "चार नामों" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[4] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 2–12–1980 द्वारा "निदेशक" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[5] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 2–12–1980 द्वारा "निदेशक" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[6] हरियाणा अधिसूचना संख्या 1452–कृषि, धा. (1)–96/1183, दिनांक 15–5–1996 द्वारा "चार नामों" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[7] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 2–12–1980 द्वारा "निदेशक" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(क) कृषि उपज का बेहतर विपणन करने तथा सहकारी पद्धति पर कृषि उपज का विपणन करने;

(ख) कृषि उपज की ग्रेडिंग तथा मानकीकरण;

(ग) बाजारों में या उनके अधिसूचित मण्डी क्षेत्रों में सामान्य सुधार;

(घ) बोर्ड के विश्राम–गृहों, स्टाफ क्वार्टरों तथा अन्य भवनों का रखरखाव तथा विनियमन;

(ङ.) वित्तीय रूप से कमजोर समितियों को सहायता देने के लिए प्रक्रिया;

(च) बोर्ड या परामर्श समितियों के सदस्यों को भुगतानयोग्य भत्तों;

(छ) विपणन तथा कृषि के सुधार के लिए प्रचार, प्रदर्शन, प्रसिद्धि तथा शिक्षा;

(ज) समितियों का उनके सचिवों तथा कर्मचारियों के ग्रेड नियत करने के प्रयोजन के लिए उनकी आमदनी के आधार पर वर्गीकरण;

(झ) व्यक्ति या व्यक्तियों, जिसके द्वारा तथा रीति जिसमें बोर्ड की ओर से संविदा की जाए;

(ञ) कोई अन्य प्रयोजन जो, बोर्ड की राय में, बोर्ड या समितियों के हितों को उन्नत करने के लिए, या सामान्यतः विपणन तथा कृषि के सुधार का मार्गदर्शन करने के लिए उपयुक्त है।

6. **बोर्ड तथा समितियों का बजट** .– (धारा 3 (13) तथा 43(2) (xix)) .– बोर्ड आगामी वित्त वर्ष के लिए बजट को अन्तिम रूप देने हेतु प्रत्येक वर्ष फरवरी के प्रथम सप्ताह तक बैठक करेगा।

(2) बोर्ड द्वारा पूर्ण किया गया बजट पूर्व वर्ष जिससे बजट सम्बन्धित है, फरवरी के अन्तिम सप्ताह तक राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) कोई भी खर्च बोर्ड द्वारा जब तक उपगत नहीं किया जाएगा तब तक वहां उसको पूरा करने के लिए बजट में प्रावधान न हो।

(4) बोर्ड राज्य सरकार को पूर्व अनुमोदन के बिना दूसरे लेखा शीर्ष में किसी राशि का पुनर्विनियोग नहीं कर सकता।

(5) उप नियम (1), (2) तथा (3) के उपबन्ध जहां तक हो सकें, समितियों के बजट की स्वीकृति की तैयारी, अन्तिम रूप देने तथा प्रस्तुति को लागू नहीं होंगे;

[1](परन्तु समितियों के मामले में बजट उप–मण्डल अधिकारी (सिविल) तथा उपायुक्त के माध्यम बोर्ड के (मुख्य प्रशासक)[2] की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। यदि यह समिति द्वारा भेजने की तिथि से दो मास के भीतर वापस प्राप्त नहीं होता है, तो उसे स्वीकृत किया गया मान लिया जाएगा:

परन्तु यह और कि समितियों द्वारा भेजे गए बजट उपमण्डल अधिकारी (सिविल) तथा उपायुक्त प्रत्येक द्वारा प्रत्येक दस दिन से अधिक के लिए नहीं रखेंगे)

7. **धारा 6 के अधीन अधिसूचना का प्रकाशन .– (धारा 6(1))** .– (1) धारा 6 के अधीन जारी अधिसूचना बोर्ड के [3](मुख्य प्रशासक) के आदेश के अधीन तथा विवेक पर नीचे विनिर्दिष्ट एक या अधिक रीतियों में प्रकाशित की जाएगी :–

(क) [4](हिन्दी) भाषा में या ऐसी अन्य भाषा में तथा ऐसे समाचार पत्रों में प्रकाशन द्वारा जो बोर्ड के [5](मुख्य प्रशासक) की राय में उसके द्वारा प्रभावित होने वाले सम्भावित व्यक्तियों में विधिवत् प्रचार दिया जाएगा;

H.S.A.M.B. LIBRARY PANCHKULA Acc. No 21731

---

[1] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 18–7–1975 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 2–12–1980 द्वारा "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[3] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 2–12–1980 द्वारा "बोर्ड का अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[4] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 26–3–1982 द्वारा प्रतिस्थापित।

[5] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 2–12–1980 द्वारा "बोर्ड का अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(ख) [1](हिन्दी) में या ऐसी अन्य भाषा में अधिसूचना की एक प्रति प्रत्येक नगरपालिका समिति, अधिसूचित क्षेत्र समिति, पंचायत समिति [2](—), यदि कोई हो, के कार्यालय में जिसकी अधिकारिता के भीतर मण्डी क्षेत्र या उसका कोई भाग स्थित है, तथा विधमान मण्डी, यदि कोई हो, में किसी सहजदृश्य स्थान पर चिपकाते हुए, जैसा बोर्ड के [3](मुख्य प्रशासक) द्वारा आवश्यक समझा जाए;

(ग) [4](हिन्दी) भाषा में या ऐसी अन्य भाषा में अधिसूचना की एक प्रति अधिसूचित मण्डी क्षेत्र के भीतर प्रत्येक गांव के मुख्य सार्वजनिक बैठक स्थान मे चिपकाते हुए जैसा बोर्ड के [5](मुख्य प्रशासक) द्वारा आवश्यक समझा जाए;

(घ) अधिसूचित मण्डी क्षेत्र के भीतर गांव में मुनादी द्वारा।

(2) खण्ड (क) से (ग) के अधी प्रकाशन या समय तथा खण्ड (घ) के अधीन मुनादी के समय तथा प्रायिकता बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(3) धारा 6 के अधीन जारी अधिसूचना की प्रतियों के लिए उप–नियम (1) के अधीन प्रकाशन का खर्च मण्डी विकास निधि से पूरा किया जाएगा।

8 **समितियों का गठन.–** (धारा 12 (4) तथा 43(2) (i)).– धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन सदस्यों को नामजद करने के लिए राज्य सरकार को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए सम्बन्धित जिले का उपायुक्त समितियों में नामांकित किए जाने वाले सदस्यों की दुगनी संख्या के बराबर नामों का पैनल राज्य सरकार को भेजने चाहिए।

(2) उप नियम (1) के अधीन प्राप्त नामों का पैनल राज्य सरकार पर बाध्यकारी नहीं होगा।)[6]

9. **मण्डी समिति के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की पदावधि .–** (धारा 43(2) (iii)) .– (1) समिति के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की पदावधि सदस्यों की पदावधि के सह–विस्तारी होगी।

(2) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष निम्नलिखित ऐसे रूप में कार्य करने से बन्द हो जाएंगे–

(क) उसकी सदस्यता की समाप्ति पर; या

(ख) बोर्ड को लिखित में दिए गए उसके त्यागपत्र की स्वीकृति पर; या

(ग) धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की [7](मुख्य प्रशासक) द्वारा पुष्टिकरण करने पर; या

(घ) धारा 15 के अधीन राज्य सरकार द्वारा सदस्यता से उसको हटाए जाने पर

10. **समिति के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की शक्तियां .–** (धारा 43(2) (iii)) .– (1) समिति का अध्यक्ष इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा तथा समिति के कार्यकलापों के प्रबन्धन के सम्बन्ध में लगाए गए कर्मचारी, इस नियमों तथा समितियों की उप–विधियों के अधीन रहते हुए, उसके नियन्त्रण के अध्यधीन होंगे। वह समिति के सचिव तथा सहायक सचिव की गोपनीय रिपोर्ट प्रारंभ करेगा तथा उसे [8](मुख्य प्रशासक) को भेजेगा जो वार्षिक निर्धारण करेगा।)[9]

---

[1] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 26–3–1982 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 2–12–1980 द्वारा "बोर्ड का अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[3] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 2–12–1980 द्वारा "तथा जिला परिषद" शब्दों का लोप किया गया।

[4] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 2–12–1980 द्वारा प्रतिस्थापित।

[5] हरियाणा अधिसूचना संख्या 1452–कृषि, धा. (1)–96/1183, दिनांक 15–5–1996 द्वारा "चार नामों" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[6] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 3–6–1970 द्वारा प्रतिस्थापित।

[7] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 2–12–1980 द्वारा "बोर्ड का अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[8] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 2–12–1980 द्वारा "बोर्ड का अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[9] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 12–9–1975 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) अध्यक्ष समिति की बैठक बुलाएगा तथा संचालन करेगा।

(3) अध्यक्ष सभी पत्राचार करेगा तथा अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उप–विधियों के उपबन्धों के अनुसार समिति के लेखों को रखने तथा नकदी तथा अन्य परिसम्पति की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेवार होगा।

(4) अध्यक्ष समिति के किसी सदस्य के मामले में जो मर जाता है या धारा 12 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (5) में वर्णित किन्हीं अयोग्यताओं के अध्यधीन हो गए है, बोर्ड के सचिव को तुरन्त रिपोर्ट करेगा।)[1]

(5) अध्यक्ष, सामान्यतः, लिखित में आदेश द्वारा उपाध्यक्ष या सचिव को अपनी किन्हीं शक्तियों का प्रत्यायोजन, या उस द्वारा यथा निर्धारित ऐसी अवधि के लिए कर सकता है तथा किसी समय पर तथा उसी आदेश द्वारा इस प्रकार किए गए प्रत्यायोजन की वापसी का कोई आदेश दिए बिना कर सकता है।

(6) अध्यक्ष समिति के सचिव तथा सहायक सचिव को आकस्मिक अवकाश देने के लिए सक्षम होगा। अन्य किस्म के अवकाश प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी [2](मुख्य प्रशासक) होगा।

(7) यदि अध्यक्ष बीमारी या अन्य परिस्थितियों के कारण अधिसूचित मण्डी क्षेत्र से अनुपस्थित रहना सम्भाव्य है, अपने कार्य करने में असमर्थ है, तो वह तदानुसार लिखित में उपाध्यक्ष को सूचना देगा। उपाध्यक्ष उसके बाद अध्यक्ष का कार्य करेगा, तथा ऐसा करते समय उसे अध्यक्ष के कार्यों की सभी शक्तियों तथा विशेषाधिकार होंगे तथा सभी कार्यों के लिए जिम्मेवार होगा। अध्यक्ष की मृत्यु की घटना में अध्यक्ष की शक्तियों, विशेषाधिकारों तथा जिम्मेवारियों का निर्वहन अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा जो नए अध्यक्ष के निर्वाचित होने तक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

11. **समिति के सदस्य का त्यागपत्र 1(धारा 17 तथा 43(2)).**– (1) समिति का कोई सदस्य इसके अध्यक्ष को लिखित में त्यागपत्र देते हुए अपना पद त्याग सकता है तथा यदि, त्यागपत्र देने वाला सदस्य स्वयं अध्यक्ष हो, तो वह (मुख्य प्रशासक)[3] को उसे प्रस्तुत करेगा।

परन्तु यदि समिति का कोई भी अध्यक्ष निर्वाचित नहीं किया गया है, तो सदस्य (मुख्य प्रशासक)[4] को अपना त्यागपत्र प्रस्तुत कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्राप्त प्रत्येक त्यागपत्र तुरन्त (मुख्य प्रशासक)[5] को समिति के अध्यक्ष द्वारा अपनी टिप्पणी के साथ भेजा जाएगा जो कम से कम सम्भव देरी के आवश्यक टिप्पणी के साथ उसे राज्य सरकार को भेजेगा [6](जो इसकी प्राप्ति के दो मास के भीतर इसका निर्णय करेगी।)

(3) प्रत्येक त्यागपत्र की स्वीकृति [7](राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी जो प्राप्ति के दो मास के भीतर इसका निर्णय करेगी तथा सदस्य ऐसी अधिसूचना की तिथि से ऐसे रूप में कार्य करने से बन्द हो जाएगा।)

12. **कारबार के संव्यवहार के लिए भाशा 1(धारा 43(2)(vi))** .– समिति की बैठक में कारबार हिन्दी में सम्पादित किया जाएगा।)[8]

---

1. हरियाणा अधिसूचना दिनांक 12–9–1975 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. हरियाणा अधिसूचना दिनांक 2–12–1980 द्वारा "बोर्ड का अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. हरियाणा अधिसूचना दिनांक 2–12–1980 द्वारा "बोर्ड का अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. हरियाणा अधिसूचना दिनांक 2–12–1980 द्वारा "बोर्ड का अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. हरियाणा अधिसूचना दिनांक 2–12–1980 द्वारा "बोर्ड का अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. जारी अधिसूचना दिनांक 2 फरवरी, 1990 द्वारा रखा गया।
7. हरियाणा अधिसूचना दिनांक 2–2–1990 द्वारा "राज्य सरकार" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।
8. हरियाणा अधिसूचना दिनांक 12–9–1975 द्वारा प्रतिस्थापित।

13. **विवाद उप–समिति की नियुक्ति 1(धारा 19 तथा 43(2) (vii))** .– (1) समिति वस्तु के गुण या भार, भुगतान किए जाने वाले मूल्य या दर, शामिल करने के लिए भत्तों, धूल या मैल या किसी लागत की कटौती के बारे में विवाद सहित कृषि उपज के खरीददार तथा विक्रेता या उसके एजेंट के बीच किसी विवाद की मध्यस्थता द्वारा निपटान के लिए प्रबन्ध करने हेतु ऐसे सदस्यों के समूह तथा अन्य व्यक्तियों (को)[1] मिलाकर विवाद उप–समिति के नाम से ज्ञात एक उप–समिति नियुक्त कर सकती है :

परन्तु समिति का अध्यक्ष विवाद उप–समिति का सदस्य नहीं होगा।

(2) विवाद उप–समिति, प्रत्येक मण्डी प्रांगण के लिए, पूर्वोक्त विवादों के निपटान के मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए कम से कम छह व्यक्तियों का पैनल नियत करेगी। पैनल में शामिल प्रत्येक व्यक्ति या तो अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में रहने वाला उत्पादक, या मण्डी प्रांगण जिसके लिए पैनल नियत किया गया है, में कारबार करने वाला व्यवहारी होगा।

(3) जहां कोई ऐसा विवाद उत्पन्न होता है, वहां उसके पक्षकार निम्नलिखित उपबन्धों के अनुसार उसके निपटान के लिए सहमत हो सकते हैं :–

(क) विवाद की समिति के सचिव को रिपोर्ट की जाएगी जो विवाद का निपटान करने की कोशिश करेगा। यदि वह असफल रहता है, तो विवाद खण्ड (ख), (ग), (घ) तथा (ड.) में उपबन्धित रीति में निपटाया जाएगा।

(ख) विवाद का प्रत्येक पक्षकार विवाद उप–समिति द्वारा प्रयोजन के लिए नियत पैनल से एक मध्यस्थ का चयन करेगा। मध्यस्थ संदर्भ में प्रवेश करने से पूर्व एम्पायर के रूप में कार्य करने के लिए पैनल से एक व्यक्ति नियुक्त करेगा यदि वे सहमत होने में असफल होते है।

(ग) यदि मध्यस्थ सहमत करने में असफल रहता है, तो मामला निर्णय के लिए खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त एम्पायर को निर्दिष्ट करेगा।

(घ) मध्यस्थ या एम्पायर, जैसी भी स्थिति हो, के निर्णय के विरूद्ध अपील विवाद उप–समिति को होगी तथा अवार्ड की तिथि से (सात दिन)[2] की अवधि में दायर की जाएगी।

(ड.) मध्यस्थ या एम्पायर का निर्णय या जहां अपील विवाद उप–समिति को की गई है, वहां ऐसी उप–समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

14. **समिति के सचिव के कर्त्तव्य तथा शक्तियां (धारा 43(2)(ii))**.– [3](1) समिति का सचिव समिति का कार्यकारी अधिकारी होगा। समिति के कार्य कलापों के प्रबन्धन के सम्बन्ध में लगे सभी कर्मचारी उसके नियन्त्रण के अधीन होंगे, तथा उनके लिए सभी आदेश उसके माध्यम से पारित किए जाएंगे। वह समिति की अपेक्षाओं के अनुसार तथा ऐसे कर्मचारियों का आकस्मिक अवकाश देने के लिए, सहायक सचिवों के मामले को छोड़कर मुख्य मण्डी प्रांगण तथा उप मण्डी प्रांगण में उनकी तैनाती के सम्बन्ध में ओदश पारित करने के लिए सक्षम होगा।)

(2) सचिव समिति के अध्यक्ष के नियन्त्रण के अधीन कार्य करेगा।

(3) सचिव कोई बैठक जिसमें कोई बात उससे या उसके किसी रिश्तेदार से सम्बन्धित विचार किया जाना है के सिवाए, समिति, उप–समिति या संयुक्त समिति या अस्थाई समिति की सभी बैठकों में हाजिर होने के लिए हकदार होगा।

व्याख्या .– इस उप–नियम के प्रयोजन के लिए रिश्तेदार से अभिप्राय होगा.–

(क) सम्बद्ध व्यक्ति का पिता, माता, पुत्र, पुत्री तथा बहन; तथा

(ख) सम्बन्धित व्यक्ति के पिता का भाई तथा बहन; तथा

(ग) सम्बन्धित व्यक्ति की पत्नी या पति का पिता, माता, पुत्र, पुत्री, भाई तथा बहन।

---

[1] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 26–3–1982 द्वारा रखा गया।

[2] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 12–9–1975 द्वारा "पन्द्रह" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[3] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 12–9–1975 द्वारा प्रतिस्थापित।

[1](4) सचिव अधिनियम, अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों तथा उप–विधियों तथा समय–समय पर जारी बोर्ड या बोर्ड के [2](मुख्य प्रशासक), या सचिव के निदेशों तथा समिति के पूर्व निर्णयों के प्रकाश में समिति तथा इसके अध्यक्ष को सलाह देगा। इसकी राय को समिति की कार्यवाहियों में अभिलिखित किया जाएगा। सचिव समिति तथा उप–समिति की कार्यवाहियों की प्रति तुरन्त बोर्ड के सचिव को भेजने के लिए जिम्मेवार होगा किन्तु किसी भी मामले में बैठक की तिथि के बाद तीन दिन से कम नहीं।

(5) सचिव की डियूटि अधिनियम तथा अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों तथा उप–विधियों के उपबन्धों तथा बोर्ड की हिदायतों, तथा समिति के तथा अधिनियम, नियम तथा उप–विधियों के अनुसार समिति के [3](मुख्य प्रशासक) के निर्णयों तथा बोर्ड तथा बोर्ड के [4](मुख्य प्रशासक) या सचिव की हिदायतों को लागू करने तथा मण्डी में अधिकतम सुधार को प्रभावी बनाने की होगी।

(6) सचिव यह देखेगा कि बोर्ड के अध्यक्ष या सचिव द्वारा समिति को सम्बन्धित पत्रव्यवहारों को तथा बोर्ड के [5](मुख्य प्रशासक) या सचिव के बीच सभी पत्राचार शीघ्र रूप तथा दक्ष रूप से निपटाया जा रहा है तथा समिति सूचना या कार्रवाई जो परिस्थितियों में अपेक्षित हों, के लिए समिति के [6](मुख्य प्रशासक) के सम्मुख रखी गई हैं।

(7) उप नियम (5) के अध्यधीन सचिव समिति के कार्यालय के दिनप्रति दिन के कार्य करने, लेखों का रखरखाव, विवरणियों का यथा समय समर्पण अधिनियम के प्रवर्तन में की गई प्रगति का मासिक पुनरीक्षण तथा समिति की नकदी, सामान्य मुद्रा, कार्यवृत्त पुस्तक तथा अन्य अभिलेखों तथा परिसम्पतियों की सुरक्षित, अभिरक्षा के लिए सीधा जिम्मेवार होगा।

[7](8) सचिव समिति के कार्यकलापों के प्रबन्धन के सम्बन्ध में लगे कर्मचारियों के कार्य का वार्षिक निर्धारण करेगा तथा वह उसे समिति के [8](मुख्य प्रशासक) को प्रस्तुत करेगा जो ऐसे कर्मचारियों के कार्य का अन्तिम निर्धारण करते समय इस निर्धारण को विचार में लेगा तथा उसे बोर्ड को [9](मुख्य प्रशासक) को भेजेगा जिसकी टिप्पणी अन्तिम होगी)

[10](15. **बोर्ड तथा समितियों के सदस्यों को भत्ते। 1(धारा 43(2) (xxv))** .– [11](1) बोर्ड की बैठकों में हाजिर होने या किसी अन्य कार्य के लिए बोर्ड के सदस्यों द्वारा की गई यात्राओं जिसके लिए उन्हें विशेष रूप से उस द्वारा प्रतिनियुक्त किया गया है, तो उन्हें समय–समय पर सरकार द्वारा नियत की जाने वाली दरों पर दैनिक भत्ता तथा यात्रा भत्ता भुगतान किया जाएगा।

(2) समिति की बैठक में हाजिर होने या किसी अन्य कार्य के लिए समिति के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (सरकारी सदस्यों से भिन्न) सहित समिति के सदस्यों द्वारा की गई यात्राओं हेतु जिसके लिए उन्हें उस द्वारा विशेष रूप से प्रतिनियुक्त किया गया है, तो उन्हें रजिस्ट्रार, सहकारी समिति द्वारा सहकारी समितियों के ग्रुप "ख" के सदस्यों के लिए नियत यात्रा तथा दैनिक भत्तों का भुगतान किया जाएगा:)

---

[1] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 12–9–1975 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 2–12–1980 द्वारा "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[3] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 2–12–1980 द्वारा "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[4] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 2–12–1980 द्वारा "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[5] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 2–12–1980 द्वारा "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[6] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 2–12–1980 द्वारा "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[7] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 12–9–1975 द्वारा प्रतिस्थापित।

[8] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 2–12–1980 द्वारा "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[9] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 2–12–1980 द्वारा "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[10] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 17–7–1972 द्वारा प्रतिस्थापित।

[11] संख्या 6146–कृषि–II(94)–76/24447, दिनांक 2 दिसम्बर; 1976 द्वारा प्रतिस्थापित।

[1](परन्तु राज्य विधान मण्डल के सदस्यों की दशा में उन्हें ऐसे सदस्यों के लिए उनके भत्तों को शासित करने वाले नियमों के अधीन नियत दरों के अनुसार यात्रा तथा दैनिक भत्ते का भुगतान किया जाएगा।)

(3) राज्य विधान मण्डल के सदस्य बोर्ड/समिति की बैठक में हाजिर होने के लिए उनके भत्तों की व्यवस्था करने वाले नियमों के अनुसार यात्रा तथा दैनिक भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

(4) समिति का अध्यक्ष के [2](एक हजार) रूपए प्रतिमास का मानदेय दिया जाएगा। उपाध्यक्ष जो कम से कम पन्द्रह दिन की अवधि के लिए निरन्तर रूप से अध्यक्ष के कृत्य तथा कर्त्तव्य करता है, को भी (एक हजार रूपए)[3] का कथित मानदेय दिया जाएगा) :

परन्तु किसी वित्त वर्ष में उपाध्यक्ष द्वारा प्राप्त मानदेय की कुल राशि (तीन हजार)[4] रूपए से अधिक नहीं होगी।

[5](5) उप–नियम (1) तथा (2) में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, समिति के सदस्य, जो बैठक के स्थान के 8 किलोमीटर की घेरे के भीतर बैठकों में हाजिर होने के लिए आता है, तो उसे उप–नियम (2) के अधीन दैनिक भत्तों के बराबर भत्ते का भुगतान किया जाएगा।)

(6) यदि बोर्ड की राय में, समिति की वित्तीय स्थिति उपरोक्त विहित पैमाने के अनुसार यात्रा तथा दैनिक भत्तों के भुगतान का आधार प्रस्तुत नहीं करता, तो इसे समिति के मामले में दैनिक तथा यात्रा भत्तों के ऐसे पैमाने पर नियत कर सकती है जो वह उचित समझे।

[6]**(15.क. बोर्ड के अध्यक्ष के अन्य भत्ते.**– (1) यहां बोर्ड के अध्यक्ष को मासिक भत्ते का भुगतान [7](एक हजार रुपए) से अधिक नहीं किया जाएगा जो राज्य सरकार नियत करें।

[8](2) सेवारत या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी से भिन्न बोर्ड के अध्यक्ष को रिहायशी आवास मुहैया कराया जाएगा या उसके बदले में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियत आवास भत्ता दिया जाएगा।

(3) सेवारत या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी से भिन्न बोर्ड के अध्यक्ष को स्टाफ कार मुहैया कराई जाएगी या उसके बदले में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियत वाहन भत्ता दिया जाएगा।

[9](4) अध्यक्ष यदि ऐसे रूप में उसकी नियुक्ति के समय पर सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी है, तो उसे उसकी सेवानिवृत्ति के समय पर उस द्वारा प्राप्त वेतन में से पेंशन की कुल राशि (जिसमें उसकी मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान का मासिक समकक्ष शामिल है) घटा कर मासिक भत्ते का भुगतान किया जाएगा। वह समय–समय पर अन्य पुनः नियोजित सरकारी कर्मचारियों को यथा अनुज्ञेय (महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता तथा चण्डीगढ़ प्रतिपूर्ति भत्ते)[10] का भी हकदार होगा।

---

[1] परन्तु क संख्या जो आर एस–118/8 क–23/615–43/संशोधन (6) /64, दिनांक 17 अप्रैल, 1964 द्वारा जोड़ा गया।

[2] हरियाणा अधिसूचना संख्या 2385–कृषि–धारा (1)–43/19820, दिनाकं 14–10–1993 द्वारा "पांच सौ" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[3] हरियाणा अधिसूचना संख्या 2385–कृषि–धारा (1)–43/19820, दिनाकं 14–10–1993 द्वारा "पांच सौ" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[4] हरियाणा अधिसूचना संख्या 2385–कृषि–धारा (1)–43/19820, दिनाकं 14–10–1993 द्वारा "पन्द्रह सौ" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[5] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 18–5–1985 द्वारा प्रतिस्थापित।

[6] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 1–8–1969 द्वारा प्रतिस्थापित।

[7] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 24–3–1970 द्वारा प्रतिस्थापित।

[8] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 11–12–1980 द्वारा प्रतिस्थापित।

[9] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 25–9–1974 द्वारा प्रतिस्थापित।

[10] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 5–5–1981 द्वारा 1–14–1974 से "मंहगाई तथा मकान किराया भत्ता" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(5) यदि सेवारत अधिकारी उसकी अपनी डियूटि के अतिरिक्त बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो वह वही पारिश्रमिक निरन्तर प्राप्त करेगा जो वह सरकारी सेवा में प्राप्त कर रहा होता।

(6) यदि कोई सेवारत अधिकारी बोर्ड के सम्पूर्ण समय के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उसे प्रतिनियुक्ति पर समझा जाएगा तथा ऐसे पारिश्रमिक तथा अन्य भत्ते प्राप्त करेगा जो साधारण सरकारी नियमों के अधीन उसको अनुज्ञेय हैं।

(15ख **मुख्य प्रशासक का पारिश्रमिक तथा अन्य भत्ते**.— (1) यदि कोई सरकारी अधिकारी उसकी अपनी डियूटि के अतिरिक्त बोर्ड के मुख्य प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो वही पारिश्रमिक निरन्तर प्राप्त करेगा जो वह सरकारी सेवा में प्राप्त कर रहा होता।

(2) यदि सरकारी अधिकारी बोर्ड के सम्पूर्ण समय के मुख्य प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उसे प्रतिनियुक्ति पर समझा जाएगा तथा ऐसे पारिश्रमिक तथा अन्य भत्ते प्राप्त करेगा जो साधारण सरकारी नियमों के अधीन उसको अनुज्ञेय है।)[1]

16. **सन्दर्भ। (धारा 3(9) तथा 43(1))** .— जिला प्राधिकारणों तथा स्थानीय निकायों से भिन्न किसी सरकारी विभाग को समितियों से सन्दर्भ बोर्ड के सचिव के माध्यम से किए जाएंगे।

[2](16क. **संविदा खेती का रजिस्ट्रेशन धारा 8 क** .— (1) अधिनियम की धारा 8क के अधीन स्वयं को रजिस्टर कराने के लिए आशयित कोई संविदा खेती प्रायोजक सम्बन्धित मण्डी समिति के सचिव को प्ररूप क–I में आवेदन करेगा। यदि संविदा खेती प्रायोजक एक से अधिक मण्डी समितियों के लिए रजिस्ट्रेशन चाहता है, तो वह बोर्ड के सचिव को आवेदन कर सकता है।

[3][(1क) संविदा कृषि प्रायोजक किसी कृषि उपज, निष्कर्षण/उत्पादन की कृषि के लिए कोई करार नहीं करता है जिसको तत्समय प्रवृत्त राज्य या भारत संघ की किसी विधि के अधीन प्रतिषिद्ध किया गया है।]

(2) प्रत्येक ऐसे आवेदन के साथ 5000/— रूपए की रजिस्ट्रेशन फीस जोड़ी जाएगी। राशि केवल तभी वापसी योग्य होगी यदि रजिस्ट्रेशन किसी कारण के लिए इनकार किया गया है। रजिस्ट्रेशन की अवधि तीन वर्ष होगी।

(3) रजिस्ट्रेशन की अवधि 2000/— रूपए की नवीकरण फीस साथ जोड़ कर प्ररूप क–II में सम्बन्धित मण्डी समिति के सचिव या बोर्ड के सचिव, जैसी भी स्थिति हो, को आवेदन करते हुए नवीकृत करवाई जा सकती है। राशि केवल तभी वापसीयोग्य होगी यदि रजिस्ट्रेशन का नवीकरण किसी कारण के लिए इनकार किया गया है।

(4) रजिस्ट्रेशन/नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित भी जोड़ा जाएगा—

(क) आशयित कारबार की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट;

(ख) पूर्व दो निर्धारण वर्षों की आय कर विवरणी की सहायता सहित या चार्टर्ड एकाउंटैंट द्वारा निर्धारित मूल्यांकन सहित स्थाई परिसम्पति सहित आवेदक की वित्तीय स्थिति दर्शाने वाला विवरण;

(ग) पिछले दो वर्षों का तुलन–पत्र;

(घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 (156 का 1), भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9), हरियाणा सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 (1984 का 22) या सरकारी अभिकरण, जैसी भी स्थिति हो, के अधीन रजिस्ट्रेशन का सबूत।

---

[1] हरियाणा सरकार अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 13/पं.अ. 23/61/धा. 43/संशो.(1) 81, दिनांक 3 फरवरी, 1981 द्वारा जोड़ा गया।

[2] हरियाणा अधिसूचना संख्या 1545–ए एस–1–2007/14293, दिनांक 9–8–2007 द्वारा जोड़ा गया।

[3] हरियाणा सरकार अधिसूचना संख्या का.आ. 13/ह.अ. 23/1961/धा. 43/2016 दिनांक 23–5–2016 द्वारा रखी गई।

(5) मण्डी समिति का सचिव या बोर्ड का सचिव, जैसी भी स्थिति हो, आवेदक द्वारा प्रस्तुत रजिस्ट्रेशन या नवीकरण के लिए आवेदन का मूल्यांकन करेगा तथा मूल्यांकन के बाद प्ररूप ख–I में आवेदक को रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र या नवीकरण रजिस्ट्रेशन, जैसी भी स्थिति हो, जारी करेगा। यदि संविदा खेती प्रायोजक अधिनियम, नियम तथा उप–विधियों या संविदा करार की शर्तों के उपबन्धों की उल्लंघना करता है, तो मण्डी समिति का सचिव या बोर्ड का सचिव, जैसी भी स्थिति हो, को उसका रजिस्ट्रेशन रद्द करने की शक्ति होगी।

[1][(6) संविदा कृषि प्रायोजक तथा संविदा कृषि उत्पादक के बीच संविदा कृषि करार प्ररूप ग–1 में होगा तथा इसे दोनों पक्षों की उपस्थिति में सम्बन्धित जिला विपणन प्रवर्तन अधिकारी के पास रजिस्टर्ड करवाया जाएगा। सहमत दर/संविदा दर पूर्व वर्ष के न्यूनतम समर्थन कीमत से कम नहीं होगी। क्रेता प्रतिभूति के रूप में समिति जिसमें भूमि स्थित है, में राशि के लिए सहमत दर या न्यूनतम समर्थन कीमत; (यदि दर पर सहमत नहीं है) या बैंक गारन्टी कृषि उपज की कुल कीमत के पांच प्रतिशत के बराबर राशि जमा करेगा। जहां कहीं कोई न्यूनतम समर्थन कीमत नहीं है तथा कोई भी सहमत दर नहीं है, तो प्रतिभूति की राशि करार के समय पर प्रचलित बाजार दर के पांच प्रतिशत की दर पर संगणित की जाएगी। प्रतिभूति अथवा बैंक गारन्टी करार के संतोषजनक निष्पादन की तिथि के बाद तीस दिन की अवधि के भीतर निर्मुक्त की जाएगी। सम्बन्धित जिला विपणन प्रवर्तन अधिकारी तीस दिन के भीतर आदेश पारित करेगा और प्रयोजक को संसूचित करेगा। यदि तीस दिन के भीतर आदेश पारित नहीं किए जाते तो वह इसके कारण अभिलिखित करेगा। संविदा कृषि प्रायोजक संविदा कृषि की फसलों के लिए पर्याप्त बीमा व्यवस्था मुहैया करवाएगा। बीमा किस्त की लागत संविदा कृषि प्रायोजक और किसान द्वारा 60 : 40 के अनुपात में वहन की जाएगी।]

(7) यदि दोनों पक्षकार संविदा खेती करार के किन्हीं निबन्धनों तथा शर्तों में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो उसे सम्बन्धित जिला मण्डी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा अपेक्षा के अनुसार समय–समय पर दोनों पक्षकारों की उपस्थित में पूरा किया जाएगा।

(8) सम्बन्धित मण्डी समिति का सचिव या बोर्ड का सचिव, जैसी भी स्थिति हो, प्ररूप घ–1 में संविदा खेती प्रायोजकों का रिकार्ड रखेगा।

(9) सम्बन्धित जिला मण्डी प्रवर्तन अधिकारी प्ररूप ड.–1 में संविदा खेती करार का रिकार्ड रखेगा।

(10) सम्बन्धित जिला मण्डी प्रवर्तन अधिकारी या तो स्वयं या किसी पक्षकार के अनुरोध पर अपनाई खेती पद्धति का निरीक्षण, पर्यवेक्षण तथा मानीटर तथा समय–समय पर उपज के गुण के लिए संविदा खेती करार के पक्षकारों के परिसरों/खेतों में प्रवेश करने के लिए विशेषज्ञ होने के कारण बोर्ड/समितियां किसी अन्य सरकारी अभिकरण के कर्मचारियों को सशक्त करेगी। इस सम्बन्ध में यथा आवश्यक रिकार्ड किसान डायरी या अन्यथा के रूप में अनुरक्षित भी किया जाएगा।

(11) संविदा खेती प्रायोजक पूर्व वित्त वर्ष के दौरान उस द्वारा किए गए सभी संव्यवहारों के सम्बन्ध में सम्बन्धित मण्डी समिति को प्रत्येक वर्ष 30 जून से पहले प्ररूप च–1 में वार्षिक लेखे प्रस्तुत करेगा।

(12) यदि संविदा खेती प्रायोजक ने निर्यात या प्रसंस्करण के आशय से उपज खरीदी है, तो वह सम्बन्धित मण्डी समिति को सूचना देगा, जो प्ररूप छ–1 में होगी। संविदा खेती प्रायोजक एक घोषणा प्रस्तुत करेगा कि वह खरीद की तिथि से 90 दिन की अवधि के भीतर उपज का निर्यात कर रहा है या प्रसंस्करण कर रहा है।

[1] हरियाणा सरकार अधिसूचना संख्या का.आ. 13/ह.अ. 23/1961/धा. 43/2016 दिनांक 23–5–2016 द्वारा रखी गई।

(13) यदि संविदा खेती करार के किन्हीं उपबन्धों के सम्बन्ध में पक्षकरों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो कोई भी पक्षकार विवाद का समाधान करने के लिए सम्बन्धित जोनल प्रशासक को आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। प्रत्येक ऐसे आवेदन पर दस रूपए की न्यायालय फीस टिकट लगाई जाएगी। जोनल प्रशासक पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद तीन दिन की अवधि के भीतर संक्षिप्त रीति में विवाद का निपटान करेगा।

(14) (***)

[1][17. **व्यवहारी का लाईसैंस**–(1) उप नियम (2) में यथा तालिकाबद्ध प्रवर्ग के लिए धारा 10 के अधीन लाईसैंस प्राप्त करने का इच्छुक कोई व्यक्ति जिसकी अधिकारिता में वह अपना कारबार चलाना चाहता है, सचिव के माध्यम से मुख्य प्रशासक या इस निमित्त लिखित में उस द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को दोहरी प्रति में प्ररूप 'क' में आवेदन करेगा तथा सम्बन्धित मंडी समिति में "मंडी समिति निधि"के पक्ष में अपेक्षित लाईसैंस फीस/लाईसैंस की नवीकरण फीस तथा प्रतिभूति नकद में या बैंक डिमांड ड्राफ्ट या बैंक पे आर्डर या पोस्टल आर्डर द्वारा ऐसी मंडी समिति में जमा भी करेगा :

परन्तु यदि,–

(i) लाईसैंस धारी एक जिले में पड़ने वाली एक से अधिक मंडी समिति में कारबार करने का इच्छुक है, तो वह आवेदन सम्बन्धित जिला विपणन प्रवर्तन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा;

(ii) लाईसैंसधारी एक जोन में पड़ने वाली एक से अधिक मंडी समिति में कारबार करने का इच्छुक है, तो वह सम्बन्धित आंचलिक विपणन प्रवर्तन अधिकारी को आवेदनपत्र प्रस्तुत करेगा ; और

(iii) लाईसैंसधारी एक जोन से अधिक में पड़ने वाली एक से अधिक मण्डी समितियों में या सम्पूर्ण राज्य में कारबार करने का इच्छुक है, तो आवेदन "विपणन विकास निधि" के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर के रूप में लाईसैंस फीस/नवीकरण फीस तथा प्रतिभूति सहित मुख्य प्रशासक को प्रस्तुत करेगा :

परन्तु यह और कि एक लाईसैंस एक से अधिक मण्डी प्रांगण में संचालित करता है, तो कारबार परिसर के रूप में लाईसैंसधारी को हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (अचल सम्पत्ति की बिक्री) नियम, 2000 के उपबन्धों के अनुसार कारबार के मुख्य स्थान को ध्यान में रखते हुए दुकान प्लॉट का अधिमानी आबंटन के लिए विचारा जाएगा :

परन्तु यह और कि कोई भी कच्चे आढ़तिए का लाईसैंसधारी, इस आधार पर कि उसके पास एक से अधिक मंडी प्रागंण में लाइसैंस है अथवा एक से अधिक मण्डी प्रांगण में कार्य करने का लाईसैंस है, सम्पूर्ण राज्य में आरक्षित कीमत पर एक से अधिक दुकान प्लांट के आबंटन के लिए पात्र नही होगा।

(2) इस नियम के अधीन जारी लाईसैंस के लिए लाईसैंस फीस/लाईसैंस की नवीकरण फीस, प्रतिभूति या बैंक गारंटी, यदि कोई हो, निम्न अनुसार होगी :–

---

[1] हरियाणा सरकार अधिसूचना संख्या का.आ. 13/ह.अ. 23/1961/धा. 43/2016 दिनांक 23–5–2016 द्वारा नियम–17 प्रतिस्थापित किया गया।

लाईसैंस का प्रवर्ग	प्रति वर्ष लाईसैंस फीस/नवीकरण फीस	प्रति तिमाही लाईसैंस फीस या उसका भाग	प्रतिभूति	बैंक गारंटी
(i) (क) 2.00 करोड़ रुपए या अधिक के वार्षिक टर्नओवर रखने वाले कृषि उपज के विक्रय, व्यापारी/थोक व्यवहारी, कारखाना जिसमें क्रय, भण्डारण, पैकेजिंग, छटाई, ग्रेडिंग, ओटाई कारखाना, शैलर, आटा मिल, ऑयल, एक्सपेलर, दाल मिल या प्रशीतन के लिए शीतागार शामिल है।	सम्पूर्ण राज्य के लिए 10,000/— या प्रतिजोन 2500/— या एक मंडी समिति के लिए 1,000/— रुपए।	सम्पूर्ण राज्य के लिए 2500/— या प्रतिजोन 625/— रुपए या एक मंडी समिति के लिए 250/— रुपए।	शून्य	सम्पूर्ण राज्य के लिए 10.00 लाख रुपये या जोन के लिए 2.50 लाख रुपये या एक मंडी समिति के लिए 1.00 लाख रुपए।
(ख) जिसका वार्षिक टर्नओवर 12.00 लाख रुपए है किन्तु 2.00 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। व्यापारी/थोक व्यवहारी, काराखाना जिसमें कृषि उपज के विक्रय, क्रय, भण्डारण, पैकेजिंग, छटाई, ग्रेडिंग, ओटाई काराखाना, शैलर, आटा मिल, तेल एक्सपेलर, दालमिल या प्रशीतन के लिए शीतागार शामिल है।	सम्पूर्ण राज्य के लिए 10,000/— या प्रतिजोन 2500/— रुपए या प्रति मंडी समिति 1000/— रुपए।	सम्पूर्ण राज्य के लिए 2500/— या प्रतिजोन 625/— रुपए या प्रति मंडी समिति 250/— रुपए।	सम्पूर्ण राज्य के लिए 50,000/— रुपए या प्रतिजोन के लिए 12,500/— रुपए या एक मंडी समिति के लिए 5000/— रुपए।	शून्य
(ii) कृषि उपज के विक्रय क्रय या भण्डारण के लिए कमीशन एजैंट या कच्चा आढ़तियां।	600/— रुपए	150/— रुपए	3000/— रुपए	शून्य
(iii) अन्य व्यवहारियों जिसकी कृषि उपज की वार्षिक टर्नओवर दो लाख रुपए से अधिक है किन्तु बारह लाख रुपए से अधिक नहीं है।	200/— रुपए	50/— रुपए	1000/— रुपए	शून्य

(3) लाईसैंस अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा/नवीकृत किया जाएगा, जो जारी करने की तिथि से आगामी मार्च के 31वें दिन को समाप्त होगी।

(4) समिति का सचिव या सम्बन्धित जिला विपणन प्रवर्तन अधिकारी या आंचलिक विपणन प्रवर्तन अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, प्ररूप 'क' पर आवेदन की प्राप्ति पर, मुख्य प्रशासक या उस द्वारा इस निमित्त लिखित में, प्राधिकृत किन्हीं अन्य व्यक्तियों को आवेदन के प्रत्यय–पत्र का सत्यापन करने के बाद तीन दिन में, मामला भेजेगा तथा वह प्ररूप ख में लाईसैंस अस्वीकार कर सकता है या प्रदान कर सकता है। लाईसैंस उसमें वर्णित शर्तों के अध्यधीन होगा।

(5) इस नियम के अधीन जारी लाईसैंस का रिकार्ड प्ररूप 'ग' में उपनियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा अनुरक्षित किया जाएगा।

(6) प्रतिभूति या बैंक गारंटी, सम्पूर्ण राज्य या एक मंडी समिति से अधिक के लिए जारी लाईसैंस की दशा में सम्बद्ध आंचलिक विपणन प्रवर्तन अधिकारी द्वारा या विशेष मंडी समिति के लिए लाईसैंस की दशा में सम्बद्ध द्वारा जारी समाशोधन प्रमाणपत्र की प्रस्तुति पर, कारबार की समाप्ति की तिथि से तीन मास के बाद जारी (रिलिज) की जाएगी।

(7) लाईसैंसधारी परिवर्तित प्रवर्ग के लाईसैंस के लिए सम्बन्धित लाईसैंस फीस, प्रतिभूति या बैंक गारंटी का भुगतान करते हुए किसी समय पर लाईसैंस के प्रवर्ग के परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकता है।

17क. **स्थल विनिमय के लिए लाईसैन्स** .–(1) धारा 8 ग के अधीन लाईसैन्स प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति मुख्य प्रशासक या इस निमित्त लिखित में उस द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को प्ररूप क 1 (क) में, "विपणन विकास निधि" के पक्ष में बैंक गारंटी सहित डिमांड या पे आर्डर या पोस्टल आर्डर के रूप में उपनियम (2) में यथा वर्णित लाईसैन्स फीस तथा प्रतिभूति सहित आवेदन करेगा। मुख्य प्रशासक या इस निमित्त लिखित में उस द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति आवेदन के प्रत्यय–पत्र के सत्यापन के बाद पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए प्ररूप ख (क) में लाईसैन्स अस्वीकार कर सकता है या प्रदान कर सकता है। इस प्रकार प्रदान किया गया लाईसैन्स प्ररूप च च में आवेदन करने तथा फीस के भुगतान पर प्रत्येक समय पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकरण योग्य होगा। इस नियम के अधीन जारी लाईसैन्स का रिकार्ड प्ररूप ग ग में बोर्ड द्वारा अनुरक्षित किया जाएगा।

(2) इस नियम के अधीन जारी लाईसैन्स के लिए लाईसैन्स फीस, प्रतिभूति तथा बैंक गारंटी निम्न अनुसार होगी :–

तालिका

लाईसैन्स का प्रवर्ग	प्रति वर्ष लाईसैन्स फीस	प्रति वर्ष लाईसैन्स की नवीकरण फीस	प्रतिभूति या बैंक गारंटी
1	2	3	4
ई व्यापार के लिए स्थल विनिमय की स्थापना	50,000/– रुपये	50,000/– रुपये	5.00 लाख रुपये की प्रतिभूति या 10.00 लाख रुपये की बैंक गारंटी:

परन्तु यह और कि स्थल विनिमय पर कार्यन्वित व्यापार की कुल मात्रा एक मास के दौरान दस करोड़ से अधिक है, तो लाईसैसधारी मुख्य प्रशासक के पास बीस लाख रुपये की अपरिवर्तनीय सतत बैंक गारंटी जमा करेगा।

(3) लाईसैन्सधारी भाण्डागार प्राप्ति प्रणाली द्वारा कृषि उपज वापसी की सुपुर्दगी के लिए प्रबन्ध करेगा। यह सुसंगठित तथा पूंजीकृत दलाली गृहों की प्रणाली रखेगा, जहां युक्तियुक्त पूंजी उपयुक्तता सहित सदस्य/दलाल भाग ले सकते है। लाईसैन्सधारी ऑनलाईन वास्तविक समय मूल्य तथा व्यापार सूचना प्रसार का प्रबन्ध करेगा। व्यापार से सम्बन्धित कोई सूचना बाजार में आनलाईन सांझी की जाएगी। यह प्रचालन तथा निर्णय करने में पारदर्शिता वाली होगी। स्थल विनिमय चलाने का प्रबन्धन, विश्वसनीय, प्रभावी तथा निष्पक्ष होगा तथा बाजार वस्तुओं का संचालन करने में अनुभव सहित भी होगी। स्थल विनिमय के स्वामित्व/प्रबन्धन तथा सदस्य/दलाल पृथक व्यक्ति/निकाय होंगे।

(4) लाईसैन्सधारी प्रमुख स्थानों पर आनलाईन व्यापार के लिए मंडी क्षेत्र में टर्मिनल व्यापार स्थापित करेगा, जो विक्रेताओं को आसानी से उपलब्ध हों।

(5) लाईसैन्सधारी मंडी क्षेत्र में, जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर अधिसूचित कृषि उपज की वास्तविक समय कीमत तथा व्यापार से सम्बन्धित सूचना मुहैया करेगा तथा जहां तक सम्भव हो, मंडी समितियों के प्रागंण में इसकी अवस्थिति के क्षेत्र में स्थाई इलैक्ट्रोनिक कीमत प्रदर्शन बोर्ड मुहैया करवाएगा।

(6) लाईसैन्सधारी भाण्डागार, तौल, ग्रेडिंग तथा प्रमाणन तथा सफाई तथा पादप सफाई व्यवस्था के लिए प्रबन्ध करेगा।

(7) लाईसैन्सधारी क्रेताओं द्वारा केवल पूर्ण भुगतान के बाद विक्रेताओं द्वारा बेचे गए कृषि उत्पाद की सुपुर्दगी सुनिश्चित करेगा।

(8) स्थल विनिमय के लाईसैन्सधारी को प्राईवेट मंडियो के लिए यथा अपेक्षित अवसंरचना के सृजन से छूट होगी। तथापि, इस नियम में यथा सूचित सुविधाएं लाईसैन्सधारी द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी

(9) स्थल विनिमय के लाईसैन्सधारी कृषकों से अन्यथा उनके मंडी पदाधिकारियों से सदस्यता फीस, प्रतिभूति जमा, वार्षिक अंशदान, अतिरिक्त राशि तथा अन्य प्रभारों को प्रभारित करने से मुक्त होगा

(10) प्रत्यक्ष रूप से स्थल विनिमय के लाईसैन्सधारी कृषकों या उसके द्वारा यथा मान्यता प्राप्त निर्दिष्ट भाण्डागार प्राप्तियों के माध्यम से भौतिक सुपुर्दगी लेंगे।

(11) स्थल विनिमय के लाईसैन्सधारी इसमें निष्पादित सभी व्यापार पर भुगतान गारंटी करेगा तथा इस प्रयोजन के लिए बन्दोबस्त गारंटी निधि का अनुरक्षण करेगा। विक्रेता, क्रेता के भाग पर किसी चूक के होते हए भी, स्थल पर ही पूर्ण भुगतान प्राप्त करेगा।

(12) क्रेता द्वारा उद्धृत कीमत मंडी फीस, अन्य आनुषंगिक प्रभार इत्यादि के सिवाए विक्रेता को वास्तविक देय होंगे। भाण्डागारों में सुपुर्दगी के लिए परिवहन लागत तथा अन्य विविध लागतें क्रेता के खाते में से दी जाएगी तथा क्रेता विक्रेता को केवल वास्तविक देय कीमत उद्धृत करेगा।

(13) अति लघु द्वारक टर्मिनल (वी एस ए टी) की सदस्यता सभी कृषकों या उनके समूहों/सहकारी/कम्पनियों को शामिल करते हुए उपलब्ध करवाई जाएगी। अति लघु द्वारक टर्मिनल (वी एस ए टी) की सदस्यता फीस किसानों अथवा उनके समूहों/सहकारिता, यदि कोई हो, के सम्बन्ध में मुख्य प्रशासक के पूर्व अनुमोदन सहित लाईसैन्सधारी द्वारा नियत की जाएगी।

(14) स्थल विनिमय का लाईसैन्सधारी, केवल लाईसैन्स की प्राप्ति के बाद लाईसैन्स में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों के किसानों से ग्रेडिंग या मार्किंग, जैसी भी स्थिति हो, शुरू कर सकता है। तथापि, परियोजना के लागूकरण में असफलता के कारण लाईसैन्स के रद्दकरण की दशा में, लाईसैन्सधारी, लाईसैन्स के अधीन क्रय करना तुरन्त बन्द करेगा।

(15) मुख्य प्रशासक या उस द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी जो सचिव की पदवी से नीचे का न हो, को स्थल विनिमय का निरीक्षण करने की शक्ति होगी।

(16) स्थल विनिमय का लाईसैन्सधारी, बोर्ड को मास के प्रत्येक सोमवार को मंडी फीस की समेकित वापसी तथा भुगतान सहित सम्बन्धित मंडी समिति को विक्रेताओं से किए गए क्रय की मासिक विवरणी मंडी क्षेत्र वार प्रस्तुत करेगा। वह यथा लागू संसाधित मालों से सम्बन्धित विक्रय विवरणी भी प्रस्तुत करेगा :

परन्तु कोई भी मण्डी फीस कृषि उपज के लिए राज्य के किसी मण्डी क्षेत्र में दूसरी बार के लिए उदगृहीत नहीं की जाएगी जिस पर मण्डी फीस स्थल विनिमय में विहित दर पर उदगृहीत या संगृहीत की गई है।

(17) स्थल विनिमय का लाईसैन्सधारी विक्रय के दिन को विक्रय पर्ची जारी करते हुए विक्रेताओं को विक्रय आगामों का भुगतान सुनिश्चित करेगा तथा केवल ऐसे भत्ते तथा कटौतियां अनुज्ञात करेगा, जो नियमों के अधीन अनुज्ञात है, मंडी प्रभार संग्रहण करेगा जो अधिसूचित मंडी क्षेत्र में लागू हैं, तथा ऐसे रजिस्टरों का अनुरक्षण करेगा तथा सम्बद्ध सचिव के माध्यम से बोर्ड को ऐसी विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(18) इस नियम के अधीन जारी किए गए लाईसैन्स का रिकार्ड प्ररूप ग में बोर्ड द्वारा अनुरक्षित किया जाएगा।][1]

धारा 8 के अधीन अनुज्ञप्ति लेने से छूट प्राप्त व्यक्ति। (धारा 8) .– (1) धारा 8[2] के अधीन निम्नलिखित व्यक्ति कृषि उपज की खरीद हेतु अनुज्ञप्तियां लेने से छूट प्राप्त होंगे :–

(क) हलवाई तथा भूनने, तलने या पके हुए भोजन के खान–पान प्रबन्धक;

(ख) कुहलुज का प्रयोग करने वाले व्यक्ति, परन्तु अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में उन द्वारा लगाए गए कुहलुज दो से अधिक न हों।

(ग) फेरीवाले तथा छोटा–मोटा परचून दुकानदार जो ऐसी फेरी लगाने या परचून खरीद से अन्यथा कृषि उपज के किसी व्यापार में नहीं लगता है;

[3][व्याख्या–इस खण्ड तथा उप–नियम (2) के खण्ड (ख) के प्रयोजनों के लिए, व्यक्ति, जिसकी कृषि उपज के विक्रय तथा क्रय की टर्नओवर वर्ष के दौरान बारह लाख रुपए अथवा किसी मास के दौरान एक लाख रुपए से अधिक नहीं होती, को लघु–दुकानदार के रूप में माना जाएगा।]

परन्तु पंजाब राज्य के बाहर से कृषि उपज का आयात करने वाले व्यवहारी को फेरी वाले या छोटे परचून दुकानदार के रूप में नहीं समझा जाएगा।

(घ) राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के कार्यभारी जब वे सरकार की ओर से खरीद करते है ;

परन्तु खण्ड (क) तथा (ख) में वर्णित व्यक्तियों के मामले में खरीद सम्बन्धित व्यक्तियों की व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई थी

[4][(ड.) बागवानी विभाग अथवा कृषि विभाग द्वारा प्रायोजित किसान उत्पादक संगठन तथा उनके अपने सदस्यों को, जो उपज को इक्ठ्ठा करते है या बेचते है, धारा 10 के उपबन्धों की छूट होगी।]

[5](च) लोप

(छ) हरियाणा खादी ग्राम उद्योग संघ जब विनिर्माण प्रयोजनों के लिए ऊन की खरीद करते है; तथा

(2) कृषि उपज के विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति लेने से निम्नलिखित छूट प्राप्त हैं;

(क) अनुसूचित बैंक जब अधिनियम की धारा 10 के अधीन उत्पादक या अनुज्ञप्तिधारी से सम्बन्धित किसी कृषि उपज के विरूद्ध कार्यवाही करता है जिसको ऐसी कृषि उपज के प्रतिभूति के विरूद्ध अग्रिम धन दिया गया है।

(ख) फेरीवाले तथा छोटे परचून दुकानदार जो फेरी लगाने या परचून विक्रय करने से अन्यथा कृषि उपज के किसी व्यापार में नहीं लगते हैं।

(ग) राज्य सरकारा तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी जब वे सरकार की ओर से विक्रय करते हैं।

(घ) कृषि उपज (विकास तथा भाण्डागारण) निगम अधिनियम, 1956 तथा पंजाब भाण्डागारण अधिनियम, 1957 के अपानि अनुज्ञप्त व्यक्ति जो केवल भाण्डागारण गृह चलाते हैं, जब किसी व्यक्ति से सम्बन्धित कृषि उपज बेचते हैं जिसका ऐसी कृषि उपज की प्रतिभूति के विरूद्ध अग्रिम धन देते हैं।

[1] हरियाणा सरकार अधिसूचना संख्या का.आ. 13/ह.अ. 23/1961/धा. 43/2016 दिनांक 23–5–2016 द्वारा रखी गई।

[2] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 26–3–1982 द्वारा प्रतिस्थापित।

[3] हरियाणा सरकार अधिसूचना संख्या का.आ. 13/ह.अ. 23/1961/धा. 43/2016 दिनांक 23–5–2016 द्वारा प्रतिस्थापित।

[4] हरियाणा सरकार अधिसूचना संख्या का.आ. 13/ह.अ. 23/1961/धा. 43/2016 दिनांक 23–5–2016 द्वारा जोड़ा गया।

[5] पी. ए. पी. एम. (साधारण) (तृतीय संशोधन) नियम, 1964 द्वारा लोप किया गया,

पी. ए. पी. एम. (साधारण) (तृतीय संशोधन) नियम, 1964 द्वारा दिनांक 3 सितम्बर, 1964 को लोप किया गया।

[1](ड.) बागवानी विभाग अथवा कृषि विभाग द्वारा प्रायोजित किसान उत्पादक संगठन तथा उनके अपने सदस्यों को, जो उपज को इकट्ठा करते या बेचते हैं, धारा 10 के उपबन्धों से छूट होगी।

[2](च) लोप)

[3](2–क) कृषि उपज की कार्यवाही के लिए अनुज्ञप्ति लेने से निम्नलिखित छूट प्राप्त हैं:–

(क) चक्की वाले तथा आरे वाले जो कृषि उपज का कोई विक्रय या क्रय नहीं करते किन्तु वे केवल कृषि उपज को पिसने के लिए या ईंधन के रूप में उसका प्रयोग करने हेतु पेड़ों की चिराई के लिए, जैसी भी स्थिति हो, अपनी चक्की तथा आरे (आरा मिल) रखते है।

(ख) केवल धान को हाथ से झड़काने में लगे व्यक्ति।

(3) उप–नियम (1) (घ) तथा (2) (ग) के अधीन अनुज्ञप्ति लेने से छूट–प्राप्त राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी तथा उप–नियम (1) (घ) के अधीन अनुज्ञप्ति लेने से छूट प्राप्त हरियाणा खादी ग्राम उद्योग संघ अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उप–विधियों के उपबन्धों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे, जब वे अनुज्ञप्तिधारी के अभिकरण के माध्यम से अन्यथा खरीद या विक्रय करते हैं।

(4) कृषि उपज (विकास तथा भण्डागारण) निगम अधिनियम, 1956 या पंजाब भाण्डागारण अधिनियम, 1957 के अधीन अनुज्ञात व्यक्ति तथा अधिनियम की धारा 10 के अधीन उत्पादक या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उनके पास प्रतिभूत कृषि उपज का भण्डार करने वाले अनुसूचित बैक जिनको ऐसी कृषि उपज को प्रतिभूति के विरूद्ध अग्रिम धन दिया गया है, को भण्डारण कारबार के सम्बन्ध में अनुज्ञप्ति लेने से छूट होगी।

(5) यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या कोई व्यक्ति उप–नियम (1) (ग) या (2) (ख) के अधीन छूट प्राप्त है, तो (मुख्य प्रशासक)[4] उसको सुनवाई का अवसर देने के बाद सम्बन्धित व्यक्ति की टर्नओवर का निर्धारण करेगा। उसका निर्णय अन्तिम तथा निर्णायक होगा।

19. दलालों, तोलों, मापकों, सर्वेक्षकों, गोदाम–रक्षकों तथा पलेदारों को अनुज्ञप्ति.– धारा 13 तथा 43 (2) (vii).– (1) धारा 13 की उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का ईच्छुक (1) धारा 13 की उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का ईच्छुक व्यक्ति अपेक्षित अनुज्ञप्ति फीस समिति में जमा करने के बाद सम्बन्धित अधिसूचित मण्डी क्षेत्र को समिति के [5](सचिव) को प्ररूप घ में आवेदन करेगा :

परन्तु पलेदार के मामले में प्ररूप घ में कोई भी ऐसा आवेदन आवश्यक नहीं होगा। [6](व्यवहारी या पलेदार स्वयं) लिखित में सम्पूर्ण ब्योरो जैसे कि नाम, वंश, निवास तथा उस द्वारा लगाए गए पलेदार का पूरा पता समिति के [7](सचिव) को सूचित करेगा तथा ऐसी सूचना को अनुज्ञप्ति देने के लिए आवेदन के रूप में समझा जाएगा।

(2) आवेदन की प्राप्ति पर समिति का [8](सचिव) या इस निमित्त समिति द्वारा विधिवत् प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी आवेदन के आचरण तथा कारबार के बारे में ऐसी जांच करने के बाद, जो वह आवश्यक समझे, प्ररूप ड. में अनुज्ञप्ति देगा। अनुज्ञप्ति उसमें वर्णित शर्तों के अध्यधीन होगी।

---

[1] हरियाणा अधिसूचना का.आ. 13/ह.अ. 23/1961/धा. 43/2016 दिनांक 23–5–2016 द्वारा खण्ड (ङ) जोड़ा गया।

[2] सा. का. नि.–206/पं अ. 23/61/धारा 43/संशो. (8) /64, दिनांक 3 सितम्बर, 1967 द्वारा खण्ड (च) का लोप किया गया।

[3] अधिसूचना दिनांक 3–9–1964 द्वारा जोड़ा गया।

[4] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 2–12–1980 द्वारा प्रतिस्थापित।

[5] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 2–2–1990 द्वारा प्रतिस्थापित।

[6] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 2–2–1990 द्वारा "व्यवहारी" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[7] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 2–2–1990 द्वारा "अध्यक्ष" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[8] हरियाणा अधिसूचना 2–2–1990 द्वारा "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(3) समिति प्ररूप ग में धारा 13 की उपधारा (3) के अधीन जारी अनुज्ञप्तियों का रिकार्ड रखेगी।

[1](4) इस नियम के अधीन जारी अनुज्ञप्तियों के लिए अनुज्ञप्ति फीस निम्न अनुसार होगी :–

अनुज्ञप्ति का प्रवर्ग	प्रति वर्श	वर्श को तिमाही या उसके भाग के अनुसार
	रूपए	रूपए
तेला, मापक या सर्वेक्षक	20.00	5.00
दलाल	50.00	15.00
गेदाम रक्षक	100.00	25.00

(5) समिति सन्तुष्ट होने पर कि यहां अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट किन्हीं शर्तों का उल्ल्घंन किया गया है, लिखित में आदेश द्वारा ऐसी अनुज्ञप्ति रद्द या निलम्बित कर सकती है तथा निदेश भी कर सकती है कि ऐसी अनुज्ञप्ति प्रथम उल्लंघन के लिए पांच मास से अनधिक ऐसी अवधि के लिए या दूसरे उल्लंघन के लिए नौ मास से अनधिक तथा प्रत्येक पश्चातवर्ती उल्लंघन के लिए एक वर्ष से अनधिक के लिए नवीकृत नहीं की जाएगी जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए :

परन्तु कोई भी आदेश अनुज्ञप्तिधारी को कारण बताओ का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा कि क्यो न ऐसा आदेश किया जाना चाहिए।

[2](20. **फर्म की भौली तथा सदस्यता में परिवर्तन.**– (धारा 10 तथा 13).– (1) (क) जहां धारा 10 के अधीन अनुज्ञप्ति रखने वाला अनुज्ञप्तिधारी, एक फर्म है, तो विरासत के माध्यम से अन्यथा ऐसी फर्म की सदस्यता में हुए किसी परिवर्तन, का अर्थ नए रूप का गठन होगा तथा वह नई अनुज्ञप्ति की अपेक्षा करेगा :

परन्तु हिन्दु संयुक्त परिवार फर्म के मामले में, किसी पुरूष सदस्य के जन्म के कारण किसी परिवर्धन या मृत्यु के कारण विलोपन फर्म की सदस्यता में किसी परिवर्तन को पूरा करने के रूप में नहीं समझा जाएगा :

[3](परन्तु यह और कि फर्म की सदस्यता में कोई परिवर्तन इसके स्वामित्व में किसी परिवर्तन के बिना नई फर्म के गठन के बराबर फर्म की सदस्यता में किसी परिवर्तन को पूरा करने के रूप में नहीं समझा जाएगा जहां सतत् सदस्य पूर्ववर्ती–फर्म के अपने दायित्वों को करते हैं ; तथा

(ख) जहां कोई परिवर्तन किसी फर्म की सदस्यता के स्थान पर धारा 10 के अधीन नई अनुज्ञप्ति की अपेक्षा नहीं करता है, या फर्म ने उसकी सदस्यता में किसी परिवर्तन के बिना अपना नाम बदल लिया है, तथा उसकी सूचना ऐसे परिवर्तन की तिथि से दो सप्ताह के भीतर समिति के अध्यक्ष से [4](मुख्य प्रशासक) को दी जाएगी। समिति का अध्यक्ष ऐसी जांच करने के बाद जो वह आवश्यक समझे, अपनी टिप्पणी सहित आवेदन [5](मुख्य प्रशासक) को भेजेगा। [6](मुख्य प्रशासक) सूचना के सहीपन के बारे में सन्तुष्ट होने पर अनुज्ञप्ति में किए जाने वाली आवश्यक शुद्धता के आदेश देगा। ऐसे आदेश की सूचना सम्बन्धित समिति को भी दी जाएगी, तथा आवश्यक शुद्धता बोर्ड तथा समिति के कार्यालय में अनुरक्षित प्ररूप ग में रजिस्टर में की जाएगी।

---

[1] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 12–9–1975

[2] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 12–9–1975

[3] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 13–8–1987 द्वारा जोड़ा गया।

[4] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 2–12–1980 द्वारा "बोर्ड के सचिव" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[5] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 2–12–1980 द्वारा "बोर्ड के सचिव" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[6] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 2–12–1980 द्वारा "बोर्ड के सचिव" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(ग) यदि खण्ड (ख) में आने वाले मामले में फर्म सदस्यता या फर्म के नाम में परिवर्तन, जैसी भी स्थिति हो, विनिर्दिष्ट समय के भीतर [1](मुख्य प्रशासक) को आवश्यक सूचना देने में असफल रहती है, तो उसे नई अनुज्ञप्ति देने की अपेक्षा करने वाली नई फर्म के गठन के परिणामिक समझा जाएगा।

[2](घ) लोप

(2) (क) जहां धारा 13 के अधीन अनुज्ञप्ति रखने वाला अनुज्ञप्तिधारी विरासत के माध्यम के माध्यम से अन्यथा ऐसी फर्म की सदस्यता में हुए किसी परिवर्तन, का अर्थ नए रूप का गठन होगा तथा वह नई अनुज्ञप्ति की अपेक्षा करेगा :

परन्तु हिन्दु संयुक्त परिवार फर्म के मामले में, किसी प्ररूप सदस्य के जन्म के कारण किसी परिवर्धन या मृत्यु के कारण विलोपन फर्म की सदस्यता में किसी परिवर्तन को पूरा करने के रूप में नहीं समझा जाएगा :

[3](परन्तु यह और कि फर्म की सदस्यता में कोई परिवर्तन इसके स्वामित्व में किसी परिवर्तन के बिना नई फर्म के गठन के बराबर फर्म की सदस्यता में किसी परिवर्तन को पूरा करने के रूप में नहीं समझा जाएगा जहां सतत् सदस्य पूर्ववर्ती–फर्म के अपने दायित्वों को करते हैं ; तथा

(ख) जहां कोई परिवर्तन किसी फर्म की सदस्यता के स्थान पर धारा 13 के अधीन नई अनुज्ञप्ति की अपेक्षा नहीं करता है, या फर्म ने उसकी सदस्यता में किसी परिवर्तन के बिना अपना नाम बदल लिया है, [4](––) उसकी सूचना ऐसे परिवर्तन की तिथि से दो सप्ताह के भीतर सम्बन्धित समिति को दी जाएगी। [5](जो) ऐसी सूचना के सहीपन के बारे में सहीपन ऐसी जांच करने के बाद जो वह आवश्यक समझे। सहीपन के बारे में सन्तुष्ट होने पर अनुज्ञप्ति में किए जाने वाली आवश्यक शुद्धता के आदेश देगा। तब रजिस्ट्रार प्ररूप ग में तदानुसार सुधार भी करेगा।

(ग) यदि खण्ड (ख) में आने वाले मामले में फर्म सदस्यता या फर्म के नाम में परिवर्तन, जैसी भी स्थिति हो, विनिर्दिष्ट समय के भीतर समिति को आवश्यक सूचना देने में असफल रहती है, तो उसे नई अनुज्ञप्ति देने की अपेक्षा करने वाली नई फर्म के गठन के परिणार्मिक समझा जाएगा।

[6](3) इस नियम की कोई बात सहकारी समिति को दी गई अनुज्ञप्ति के मामले में लागू नहीं होगी।

21. **अनुज्ञप्ति का नवीकरण तथा उसका डुप्लीकेट जारी करना .–** (धारा 43(2) (viii) तथा (ix)) .– (1) अधिनियम की धारा 10 या 13 के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति ऐसी अवधि के लिए वैध होगी जिस के लिए यह जारी की गई है तथा अधिनियम की धारा 10(2) तथा नियम 19(5) के अधीन ऐसी अनुज्ञप्ति को जारी करने हेतु विहित वार्षिक फीस के भुगतान पर उसको प्रदान करने वाले प्राधिकारी द्वारा नवीकरण योग्य हेतु पारित किसी आदेश के अध्यधीन होगी। नवीकरण आवेदन धारा 10 के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए प्ररूप च तथा धारा 13 के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए प्ररूप छ में किया जाएगा।

(2) यदि कोई क्षेत्र किसी अधिसूचित मण्डी क्षेत्र से निकाला जाता है तथा दूसरे में शामिल किया जाता है, तो इस प्रकार निकाले गए क्षेत्र के लिए धारा 10 तथा 13 के अधीन जारी अनुज्ञप्तियां 'ऐसे अधिसूचित मण्डी क्षेत्र को समिति द्वारा जारी किया गया समझा जाएगा जिसमें क्षेत्र शामिल किया गया है तथा उप क्षेत्र की समिति द्वारा नवीकरणयोग्य होगी।

---

[1] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 2–12–1980 द्वारा "बोर्ड के अध्यक्ष" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[2] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 12–9–1975

[3] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 13–8–1987 द्वारा जोड़ा गया।

[4] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 26–3–1982 "और" शब्द का लोप किया गया।

[5] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 26–3–1982 "जो" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[6] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 12–9–1975

(3) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन ऐसी तिथि जिसको अनुज्ञप्ति की समाप्ति देय है, से कम से कम तीस दिन पूर्व किया जाएगा :

[1](परन्तु उपकार की 30 दिन की अवधि अनुज्ञप्ति नवीकृत [2](–) कराने के लिए अनुज्ञात की जाएगी ;

परन्तु यह और कि अनुज्ञप्ति नकीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, आवेदन के वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस के समकक्ष शासित का भुगतान करने पर, नवीकरण के लिए आवेदन देने पर, उपकार की अवधि की समाप्ति की तिथि के बाद तीस दिन के भीतर नवीकरण करेगा :)

[3](परन्तु यह और कि कोई भी अनुज्ञप्ति वर्ष के भाग के लिए नवीकृत नहीं की जाएगी।)

(4) इस नियम के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति का प्रत्येक नवीकरण आगामी तिथि जिसको अनुज्ञप्ति समाप्त हुई है, से प्रभावी हुई समझी जाएगी।

(5) उप–नियम (3) में यथा उपबन्धित के सिवाए, उसकी समाप्ति की तिथि के बाद किए गए अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन को नई अनुज्ञप्ति देने के लिए आवेदन के रूप में समझा जाएगा।

(6) यदि अधिनियम की धारा 10 तथा 13 के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति, या उपरोक्त उप–नियम (1) के अधीन नवीकृत अनुज्ञप्ति गुम हो गई है, तो दूसरी (डूप्लीकेट) अनुज्ञप्ति [4](पांच रूपए) की फीस का अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भुगतान करने पर उस प्राधिकारी द्वारा जिसने उसकी मूल जारी की थी, जारी की जा सकती है।

(7) इसकी दूसरी प्रति के लिए धारा 10 या 13 के अधीन अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए भुगतान योग्य फीस सम्बन्धित समिति को दी जाएगी।

22. **कतिपय अनुज्ञप्तियां देने के विरूद्ध निशेध.–** (धारा 10, 13 तथा 43 (2) (ix)) (1) इसमें इसके बाद यथा उपबन्धित के सिवाए, कोई भी व्यक्ति उसी समय पर धारा 10 के अधीन व्यवहारी की अनुज्ञप्ति तथा धारा 13 के अधीन अनुज्ञप्ति नहीं रखेगा या एक हैसियत से अधिक पदाधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए धारा 13 के अधीन एक अनुज्ञप्ति से अधिक नहीं रखेगा :

परन्तु इस नियम की कोई बात सब्जी तथा फलों में व्यापार करने वाले व्यक्ति को लागू नहीं होगी :

[5][परन्तु यह और कि प्रवर्ग–I के लाईसैन्सधारी को कच्चे आढ़तियां का लाईसैन्स नहीं दिया जाएगा।]

[6](2) उप–नियम (1) की कोई बात तोलने वाले व्यक्ति, सर्वेक्षक या मापक के रूप में अनुज्ञप्त पूर्वोक्त सभी तीनों हैसियतों में कार्य करने के लिए व्यक्ति का कोई निषेध नहीं समझा जाएगा।

23. **दलाल नियोजित करना.–** (धारा 43 (2) (xiv))। (1) कोई भी व्यक्ति किसी कार्रवाई में दलाल लगाने, के लिए बाध्य नहीं होगा, या कार्रवाई के लिए किसी अन्य पक्षकार द्वारा नियोजित दलाल के लिए भुगतान करना अपेक्षित नहीं होगा, या दलाल के लिए भुगतान करना जब किसी व्यक्ति को नियोजित नहीं किया गया है, अपेक्षित नहीं होगा।

(2) जहां कोई व्यक्ति कमीशन एजेंट के माध्यम से किसी कृषि उपज की खरीद या विक्रय के लिए किसी कार्रवाई में प्रवेश करता है, तथा कमीशन एजेंट उसके मुखिया के लिखित प्राधिकार के बिना ऐसी कार्रवाई के सम्बन्ध में दलाल को लगाता है, तो दलाल का कमीशन ऐसे कमीशन एजेंट द्वारा भुगतान योग्य होगा, तथा उसको देय पारिश्रमिक में से भुगतान

---

[1] सा. का. नि.–1/पी ओ ए–23/61/धारा 43/संशो. (1) /63, दिनांक 3–1–1963 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 12–9–1975

[3] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 12–9–1975

[4] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 12–9–1975

[5] हरियाणा सरकार अधिसूचना संख्या का.आ. 13/ह.अ. 23/1961/धा. 43/2016 दिनांक 23–5–2016 द्वारा रखा गया।

[6] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 2–2–1990 द्वारा "निषेध" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।

किया जा सकता है।

(3) वहीं व्यक्ति उसी सौदे में कृषि उपज के खरीददार तथा विक्रेता दोनो के लिए दलाल के रूप में कार्य नहीं करेगा।

24. **कृषि उपज का विक्रय.**— (धारा पर (2) (iv)) (1) विक्रय के लिए लाई गई सभी कृषि उपज मुख्य या उप मण्डी प्रागण में खुली नीलामी द्वारा बेची जाएगी।

(2) उप–नियम (1) की कोई बात समिति की उप–विधियों में यथा विनिर्दिष्ट परचून विक्रय को लागू नहीं होगी।

(3) समिति, तथा [1](मुख्य प्रशासक) द्वारा निदेशित करने पर, फलों तथा सब्जियों के भिन्न किसी कृषि उपज के सम्बन्ध में नीलामी शुरू करने तथा बन्द करने के लिए समय नियत कर सकती है या करेगी।

(4) कृषि उपज का मूल्य गुप्त संकेत या गुप्त बोली द्वारा तय नहीं किया जाएगा तथा कोई भी कटौती परेषित माल के सम्मत मूल्य से नहीं की जाएगी।

(5) नीलामी समिति द्वारा लगाए गए व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा नहीं की जाएगी :

परन्तु विशेष परिस्थितियों में [2](मुख्य प्रशासक) किसी वैकल्पिक प्रबन्ध करने के लिए समिति को अनुज्ञात या अनुमत कर सकता है:

परन्तु यह और कि इस उप–नियम की कोई बात सब्जियों तथा फलों की नीलामी को लागू नहीं होगी।

(6) किसी नीलामी में खरीददार द्वारा दी गई उच्चतम बोली तथा जिस पर उपज का विक्रेता अपनी उपज बेचने के लिए अपनी सहमति देता है, तो वह उपज का मूल्य होगा।

(7) खरीददार को कृषि उपज जिसके लिए उसने बोली दी है को पूर्ण रूप से जांच करने वाला समझा जाएगा तथा उसे उससे मुकरने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(8) ज्योही ढेर के लिए नीलामी पूरी होती है, तो नीलामीकर्ता प्ररूप ज में अनुरक्षित पुस्तक में सम्बन्धित ब्योरे भरेगा तथा खरीददार तथा विक्रेता दोनों या उनके सम्बन्धित प्रतिनिधियों जो भी स्थल पर उपस्थिति हो; के हस्ताक्षर प्राप्त करेगा।

[3](परन्तु सब्जी तथा फल व्यवहारी प्ररूप ज के रजिस्टर की बजाए मण्डी बही में नीलामी नोट करने के लिए अनुज्ञात करेगा तथा मण्डी बही को कम से कम सौ पेजों की पुस्तक या उसके बहुविद्य में पृष्ठांकित, उचित रूप से बांधा जाएगा तथा उसके प्रथम तथा अन्तिम पेज को समिति के सचिव या इस निमित उस द्वारा प्राधिकृत किसी कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा, मोहर लगाई जाएगी तथा तिथि डाली जाएगी।

(8.क) प्ररूप ज में रजिस्टर समिति के कार्यालय में रखा जाएगा तथा कृषि उपज के सभी ढेर जो नीलामी के सिलसिले के दौरान बिना बिके रह गए हैं इस रजिस्टर में दर्ज किए जाएंगे। प्रत्येक कच्चे आढतिए की डियूटि ज्योंहि बिना बिके ढेरों का निपटान किया जाता है [4](की) समिति को रिपोर्ट करने की होगी।

(9) खरीददार नीलामी के तुरन्त बाद या उसी दिन को उस द्वारा खरीदी गई उपज का तोल करके कृषि उपज प्राप्त करने के लिए जिम्मेवार होगा तथा विक्रेता या क्रेता उपज की किसी हानि, या के नुकसान, या विकृति के लिए दायी होगा [5](–)।

(10) उत्पादक द्वारा उसकी ओर से कृषि उपज के विक्रय के लिए लगाया गया व्यक्ति उत्पादक की पूर्व सहमति के बिना ऐसी उपज के सम्बन्ध में या तो स्वयं या दूसरे व्यक्ति की ओर से क्रेता के रूप में कार्य नहीं होगा);

---

[1] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 2–12–1980 द्वारा "बोर्ड के अध्यक्ष" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[2] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 2–12–1980 द्वारा "बोर्ड के अध्यक्ष" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[3] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 12–9–1975

[4] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 26–3–1982 द्वारा "आफ" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[5] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 2–2–1990 द्वारा "स्थानीय प्रथा या रिवाज के अनुसार नीलामी के बाद" शब्दों का लोप किया गया।

[1](परन्तु यह उप नियम सहकारी सोसाइटी को लागू नहीं होगा);

(11) कच्चा आढ़तिया तोल पूरा होने के तुरन्त बाद विक्रेता को भुगतान करेगा।

(12) प्रत्येक कच्चा आढ़तिया खरीददार को कृषि उपज की सुपुर्दगी पर, प्ररूप 1 में एक ज्ञापन निष्पादित करेगा तथा उसे खरीददार को उसी दिन या आगामी दिन को नियमों तथा उप–विधियों के अधीन विक्रय आगम जमा अनुज्ञेय मण्डी प्रभार वर्णित करते हुए देगा। प्रतिपर्ण कच्चे आढ़तिए द्वारा रखा जाएगा :

परन्तु इस उप–नियम की कोई बात वहां लागू नही होगी जहां कृषि उपज वनज में एक विंवटल से अनधिक सब्जी या फल दी जा रही है।

(13) इन नियमों के अधीन खरीदी गई कृषि उपज के विक्रय मूल्य के प्रतिकूल में किसी लिखित करार के अभाव में प्ररूप 1 में की सुपुर्दगी पर कच्चे आढ़तिए को खरीददार द्वारा भुगतान किया जाएगा।

(14) विक्रय के बाद कृषि उपज की सुप्रर्दगी कच्चे आढ़तिए या, यदि विक्रेता ने कोई कच्चा आढ़तिया नहीं लगाया है जब तक नहीं की जाएगी या ली जाएगी तब तक खरीददार प्ररूप ञ में विक्रय बीजक विक्रेता जैसे भी स्थिति हो, द्वारा रखा जाएगा।

25. **तोल.**– (धारा 43 (2) (x)) (1) बोर्ड प्रत्येक अधिसूचित मण्डी क्षेत्र के भीतर पेंकिंग इकाई जैसे कि थैले, आधे थैले या पली में भरे जाने वाले कृषि उपज का शुद्ध भार के मानक नियत करेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति उप–नियम (1) में नियत मानकों के अनुसार के सिवाए किसी कृषि उपज नहीं भरेगा या न ही भरवाएगा।

(3) पेकिंग इकाई के निबन्धनों में मण्डी में सभी सौदे उप–नियम (1) के अधीन नियत मानकों के अनुसार किए गए समझे जाएंगे।

(4) अधिसूचित मण्डी क्षेत्र के भीतर कृषि उपज के ढेर के तोल के पूरा होने के तुरन्त बाद संविदा का कोई पक्षकार ढेर में पैकिंग की इकाई या दो पैकिंग इकाईयों, जो भी अधिक हों, का दस प्रतिशत का जांच तोल कर सकता है। जांच तोल तुलाई के स्थल पर किया जाएगा तथा यदि कोई भी जांच तोल स्थल पर नहीं किया जाता है, तो उपज सही रूप से तोली गई समझी जाएगी।

(5) उप–नियम (4) के अधीन जांच तोल संविदा के दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में किया जाएगा। यदि कोई पक्षकार इनकार करता है या हाजरी से अन्यथा टाल–मटोल करता है, तो दूसरा पक्ष समिति के सचिव या बोर्ड के किसी कर्मचारी जो निरीक्षक से नीचे की [2](पदवी) का न हो, को लिखित में रिपोर्ट कर सकता है, जो रिपोर्ट के सहीपन के बारे में अपनी सन्तुष्टि के बाद, अपनी उपस्थिति में या इस नियित्त उस द्वारा प्राधिकृत समिति के किसी अन्य कर्मचारी की उपस्थिति में जांच तौल करवाएगा, तथा ऐसे जांच तौल का परिणाम दोनों पक्षकारों पर अन्तिम, निर्णायक तथा बाध्यकारी होगा।

(6) किसी अधिसूचित मण्डी क्षेत्र के भीतर विक्रय या क्रय की संविदा के अनुसरण में किसी कृषि उपज को तौलने से पूर्व उसके तौल के स्थान से हटाया जाता है, तो समिति का अध्यक्ष, सचिव या [3](उस द्वारा यथा प्राधिकृत समिति के कार्यों के प्रबन्धन के सम्बन्ध में लगे किसी कर्मचारी या बोर्ड के निरीक्षण अधिकारी) स्वयं की सन्तुष्टि करने की दृष्टि से कि ऐसा तौल सही रूप से किया गया है या उप–नियम (1) को अधीन नियत मानकों के अनुसार भरा गया है, तो खरीददार तथा विक्रेता की उपस्थिति में समिति या किसी अन्य अभिकरण द्वारा रखे गए बटटों तथा उपकरणों के साधन से तौल जांच करने के लिए किसी समय तथा बिना किसी पूर्व नोटिस के हकदार होगा तथा यदि उनमें से कोई एक या दोनों उपस्थिति से टाल–मटोल करते है, तो जांच तौल वहां उपस्थित किन्हीं दो व्यक्तियों की उपस्थिति में किया जा सकता है।

[1] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 26–3–1982 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 26–3–1982 द्वारा "पदवी" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[3] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 12–9–1975

(7) यदि उप–नियम (6) के अधीन जांचा गया तोल दोषपूर्ण के रूप में पाया जाता है, तौल जांच करने वाले व्यक्ति को ढ़ेर को पुनः तौले जाने का आदेश दे सकता है। पुनः तौल खरीददार की लागत पर तथा सम्बन्धित तौले की लागत पर, यदि तौल अन्यथा दोषपूर्ण है, किया जाएगा, यदि इसे उप–नियम (1) के अधीन नियत मानकों के अनुसार नहीं भरा गया है। ऐसे आदेश अन्तिम होंगे तथा खरीददार या तोलने वाला आदमी, जैसी भी स्थिति हो, तुरन्त आदेश की पालना करेगा। यह उप–नियम किसी अन्य दण्ड जो अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए इन नियमों या उप–विधियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना चालू रहेगा।

26. **तौलने वाले उपकरणों, बाटों तथा मापकों का प्रयोग, उनका निरीक्षण तथा जब्ती.**–(धारा 43 (2) (xi)) (1) केवल ऐसे तौल उपकरण जो पंजाब बाट तथा माप अधिनियम, 1958 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों, द्वारा यथा विहित की अपेक्षाओं की सन्तुष्टि के अनुसार है तथा ऐसे बाट तथा माप अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में कृषि उपज को तौलने या मापने के लिए प्रयुक्त किए जाएंगे :

परन्तु अधिसूचित मण्डी क्षेत्र के मुख्य मण्डी प्रागंण तथा उप–मण्डी प्रागंणों में कृषि उपज के विक्रय तथा क्रय की कार्रवाईयों में केवल बीम तुला (कण्डा) या प्लेटफार्म तुला का प्रयोग किया जाएगा।

(2) प्रत्येक समिति मण्डी प्रागंण में एक किवंटल की क्षमता का कम से कम एक तौल उपकरण तथा बाटों के दो सेट रखेगी, तथा ऐसे स्थानों में, जहां मापों के दो सेट प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें पंजाब बाट तथा माप अधिनियम, 1958 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार सत्यापित तथा मुद्रांकित किए जाएंगे। समिति ऐसे बाटों तथा मापों की नियुक्त अभिकरण के माध्यम से तथा उक्त अधिनियम तथा नियमों की अपेक्षा के अनुसार प्रत्येक कलैण्डर वर्ष के दौरान एक बार परीक्षित तथा सत्यापित करवाएगी।

(3) समिति का अध्यक्ष इस नियम के अधीन अनुरक्षित बाटों तथा मापों के विरूद्ध उसके कब्जे में किसी बांट या माप की मुफ्त जांच करने के लिए किसी व्यक्ति को अनुज्ञात कर सकता है।

(4) इस नियम के अधीन किसी समिति द्वारा रखे गए तौल उपकरण, बाट तथा माप किसी भी समय बोर्ड के [1](मुख्य प्रशासक) या सचिव या बोर्ड के [2](मुख्य प्रशासक) द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी अन्य कर्मचारी द्वारा जो निरीक्षक की पदवी से नीचे का न हो, द्वारा निरीक्षित, परीक्षित तथा जांचे जा सकते हैं। निरीक्षण के बाद निरीक्षण करने वाला प्राधिकारी ऐसी निदेश दे सकता है जो वह उचित समझे। समिति ऐसे निदेश का पालन करने के लिए बाध्य होगी।

(5) बोर्ड का [3](मुख्य प्रशासक) या सचिव या समिति, तथा [4](बोर्ड के [5](मुख्य प्रशासक) सचिव) द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति अधिनियम की धारा 10 या 13 के अधीन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अधिसूचित मण्डी क्षेत्र के भीतर प्रयुक्त, रखे गए या अधिकृत किसी तौल उपकरण, बाट या माप की किसी भी समय तथा बिना पूर्व नोटिस से निरीक्षण, जांच तथा परीक्षण करने के लिए हकदार होगा, तथा किसी ऐसे तौल उपकरण, बांट या माप को रखने वाला प्रतयेक ऐसा अनुज्ञप्तिधारी, जब अपेक्षित हो, इसका ऐसा निरीक्षण, जांच तथा परीक्षण करने के लिए हकदार व्यक्ति के सम्मुख उसे पेश करने के लिए बाध्य होगा।

(6) उप–नियम (5) के अधीन किसी तौल उपकरण, बाट या माप का निरीक्षण, जांच तथा परीक्षण करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति को ऐसा कार्य करते समय पंजाब बाट तथा माप अधिनियम, 1958 को धारा 15 के अधीन नियुक्त निरीक्षक, बाट तथा माप की सभी शक्तियां होंगी।

---

[1] हरियाणा अधिसूचना 2–12–1980 द्वारा "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[2] हरियाणा अधिसूचना 2–12–1980 द्वारा "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[3] हरियाणा अधिसूचना 2–12–1980 द्वारा "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[4] हरियाणा अधिसूचना 2–12–1980 द्वारा "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[5] हरियाणा अधिनियम 12–9–1975

27. **तोल–सेतु, माप प्रागंण तथा तौल या माप का प्रमाणपत्र.–** (धारा 43 (2) (x) तथा (xi)). (1) समिति अपनी उप–विधियों द्वारा यथा विहित ऐसी फीस के भुगतान पर कृषि उपज को तौलने के लिए मण्डी में तौल–सेतु का निर्माण कर सकती है।

(2) ऐसे स्थानों में जहां कृषि उपज को तौलने की बजाए मापे जाने की प्रथा प्रचलित है, तो वहां समिति उस प्रयोजन के लिए मण्डी के भीतर कोई स्थान विनिर्दिष्ट कर सकती है तथा अपनी उप–विधियों द्वारा यथा विहित ऐसी फीस के भुगतान पर ऐसी उपज को मापने हेतु प्रबन्ध कर सकती है।

(3) समिति ऐसे (तोल–सेतु या माप प्रागंण को उचित स्थिति में रखने के लिए तथा तुलाई तथा मपाई, जैसी भी स्थिति हो, के प्रमाणपत्रों को मुफ्त जारी करने के लिए ऐसी रीति में जो इसकी उप–विधियों में विहित की जाए, जिम्मेवार होगी।)

(4) उपरोक्त उप–नियम (3) के अधीन जारी प्रमाणपत्र अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में कारबार का संव्यवहार करने वाले सभी व्यक्तियों द्वारा जब तक अन्तिम के रूप में नहीं समझा जाएगा तब तक समिति के अध्यक्ष या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की सन्तुष्टि के लिए यह प्रमाणित नहीं हो जाता कि तुलाई ग्रा मपाई दोषपूर्ण तोल–सेतु पर या माप प्रागंण में गलत तराजू या बाट या माप के साधन से किया गया था।

28. **स्थान जहां पर कृषि उपज तौली या मापी जाएगी.– धारा 43 (2) (x).–(1)** किसी अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में जो धारा 6 के अधीन कृषि उपज के रूप में तम्बाकू, [1][लक्कड़] या मिर्च के लिए अधिसूचित की गई है, तो समिति स्थान निर्धारित करेगी जिंस पर पूर्वोक्त वस्तुएं तौली, मापी या बेची जा सकती है।

(2) उप–नियम (1) के उपबन्धों के अध्यधीन विक्रय के लिए आशयित कृषि उपज का तौल तथा माप मुख्य या उप मण्डी प्रागंण में अनुज्ञप्त तौले या मापकों के माध्यम से किया जाएगा।

29. **कृषि उपज के विक्रय तथा क्रय पर फीसों का उद्ग्रहण तथा संग्रहण (धारा 23 तथा 43 (2)).–** (1) धारा 23 (क) के अधीन समिति बोर्ड द्वारा समय–समय पर नियत, की जाने वाली [2](दरों पर) अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा [3](प्रसंस्करण के लिए खरीदी गई या बेची गई या लाई गई) कृषि उपज पर फीस उद्गृहीत करेगी :

परन्तु कोई भी ऐसी फीस उसी अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में एक बार से अधिक उसी कृषि उपज पर उदगृहीत नहीं की जाएगी। ऐसी फीस की सूची सम्बन्धित समिति के कार्यालय में किसी सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित की जाएगी :

[4](परन्तु यह और कि कोई भी ऐसी फीस बाहरी देश से आयातित गेहूं पर) या [5](सरकार द्वारा या निगम जिसमें सरकार वास्तविक हित रखती है, राज्य के भीतर से भण्डारण, प्रसंस्करण या वितरण के लिए लाई गई गेहूं या कपास पर उद्गृहीत नहीं की जाएगी);

[6](परन्तु यह और कि कोई भी ऐसी फीस प्रमाणित बीज पर उद्गृहीत नहीं की जाएगी।

[7](परन्तु यह और कि कोई भी ऐसी फीस केवल विक्रय, क्रय, भण्डार तथा प्रसंस्करण के लिए बाहरी देश से आयातित ऊन पर उद्गृहीत नही की जाएगी।

(2) उप–नियम (1) के अधीन विहित फीस का भुगतान करने की जिम्मवारी खरीददार की होगी तथा यदि वह अनुज्ञप्तिधारी नहीं है, तो विक्रेता की होगी जो खरीददार से उसे वसूल कर सकता है। ऐसी फीस उद्गृहणीय होगी ज्योंहि कृषि उपज अनुज्ञप्तिधारी द्वारा खरीदी या बेची जाती है।

---

[1] हरियाणा सरकार अधिसूचना संख्या का.आ. 13/ह.अ. 23/1961/धा. 43/2016 दिनांक 23–5–2016 द्वारा रखा गया।

[2] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 12–9–1975.

[3] सा. का. नि. 303/ पं अ. 23/61/धारा 43/42/संशोधन (5)/63, दिनांक 10–12–1963 द्वारा प्रतिस्थापित।

[4] सा. का. नि. 204/पं अ. 23/61/धारा 43/संशो./(10)/66, दिनांक 5–9–1966 द्वारा रखा गया।

[5] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 12–9–1975 द्वारा रखा गया।

[6] देखिए प्रथम संशोधन नियम, 1979

[7] हरियाणा अधिसूचना संख्या 2427–कृषि–धारा–(1)–97/17697, दिनांक 8–9–1997 द्वारा जोड़ा गया।

[1][3. फीस, संव्यवहार की तिथि के सात दिन के भीतर समिति या ऐसे भुगतान को प्राप्त करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी या अभिकरण को भुगतान की जाएगी।

[2] 3(क) मंडी फीस का संग्रहण, समिति द्वारा यथा अधिकथित ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर एक वर्ष के समय से अनधिक किसी अवधि के लिए, मुख्य प्रशासक के पूर्व अनुमोदन से समिति द्वारा किसी अभिकरण को पट्टे पर दिया जा सकता है या नीलाम किया जा सकता है। तथापि, ये अधिसूचित मंडी क्षेत्र में केवल फलों तथा सब्जियों के मामले में ही लागू होगी।

व्याख्या.–नियम 29 के उप–नियम (3) तथा नियम (1) में विनिर्दिष्ट सात दिनों की अवधि की संगणना करने में संव्यवहार का दिन शामिल किया जाएगा।

टिप्पणी–I :– किसी सीमा तक फीस का भुगतान सम्बद्ध समिति के लेखे में प्राधिकृत बैंक में लाईसैंसधारी द्वारा सम्बद्ध समिति क निधियों के पक्ष में या तो नकदी में या डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के माध्यम से या रियल टाईम ग्रॉस सेटलमेंट अर्थात् आनलाईन भुगतान के माध्यम से इस शर्त के अध्यधीन कि संग्रहण प्रभार, यदि कोई हो; लाईसैन्सधारी द्वारा वहन किए जाएंगे, जमा किए जाएंगे।

टिप्पणी–II:– ऐसे मामलों में जहां अगणित कृषि उत्पाद बोर्ड या समिति, जैसी भी स्थिति हो, के अधिकारियों द्वारा पता लगाया जाता है, तो फीस तुरन्त भुगतान करनी होगी तथा सात दिनों के भीतर भुगतान के उपबन्ध ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे।]

(4) प्ररूप ट में एक रसीद इन नियमों के अधीन भुगतान की गई किसी फीस के सम्बन्ध में भुगतान करने वाले व्यक्ति को तुरन्त दी जाएगी।

(5) फीसों के संग्रहण के लिए समिति द्वारा नियोजित प्रत्येक अधिकारी या नौकर को उस द्वारा यथा विहित ऐसे रूप में कार्यालय का बैज समिति द्वारा दिया जाएगा। बैज सम्बन्धित अधिकारी या नौकर द्वारा अपनी डियूटि का निर्वहन करते समय पहना जाएगा।

(6) प्रत्येक ऐसा अधिकारी या नौकर अपनी डियूटि पर प्रवेश करने से पूर्व ऐसी प्रतिभूति देगा जो सम्बन्धित समिति की उपविधियों द्वारा विहित की जाए।

(7) इस नियम के प्रयोजन के लिए कृषि उपज निम्नलिखित अनुसार अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में खरीदी गई या बेची गई समझी जाएगी।

क) यदि उसके विक्रय या क्रय का करार उक्त क्षेत्र में किया जाता है; या

(ख) यदि विक्रय या क्रय के करार के अनुसरण में कृषि उपज उक्त क्षेत्र में तौली जाती है।

(ग) यदि विक्रय या क्रय के करार के अनुसरण में कृषि उपज उक्त क्षेत्र में खरीददार को या खरीददार की ओर से किसी अन्य व्यक्ति के सुपुर्द की जाती है।

(8) यदि किसी संव्यवहार के मामलों में उप–नियम (7) में वर्णित कोई दो या अधिक कार्य दो या अधिक अधिसूचित मण्डी क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर किए गए हैं, तो मण्डी फीस विक्रय उस समिति को भुगतान योग्य होगी जिसकी अधिकारिता के भीतर कृषि उपज के विक्रय के करार के अनुसरण में तौली गई है या, यदि कोई ऐसा तौल नहीं किया गया है, तो उस समिति को जिसकी अधिकारिता के भीतर कृषि उपज सुपुर्द की गई हैं।

[3][**30. मण्डी फीस के भुगतान से छूट.–(धारा 23 तथा 43 (2) (vii)).**– ((1) कोई भी मण्डी फीस कृषि उपज जिसके सम्बन्ध में ऐसी फीस [4](अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में पहले ही भुगतान कर दी गई हैं जिसमें वह निर्मित या प्राप्त की गई थी, से निर्मित या प्राप्त किसी कृषि उपज के विक्रय या क्रय पर उदगृहीत नहीं की जाएगी।)

।५३

---

[1] हरियाणा अधिसूचना संख्या का.आ. 13/ह.अ. 23/1961/धा. 43/2016 दिनांक 23–5–2016 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] हरियाणा अधिसूचना संख्या 2310–कृषि–धारा (1)–2003/25361, दिनांक 15 नवम्बर, 2003 द्वारा जोड़ा गया।

[3] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 12–9–1975।

[4] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 21–10–1982 द्वारा "राज्य में किसी अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[1](2) कृषि उपज की किसी मात्रा के विक्रय या क्रय में सम्बन्धित व्यवहारी जिससे वह किसी अन्य कृषि उपज का निर्माण या प्राप्त करता है, कथित कृषि उपज के तथा उससे निर्मित या प्राप्त किसी उपज के विक्रय, क्रय या प्रसंस्करण के सत्य तथा सही लेखे प्ररूप ठ में रखेगा।

[2][(3) व्यवहारी जो किसी कृषि उपज मिशन, जिसके सम्बन्ध में मंडी फीस दूसरे अधिसूचित मंडी क्षेत्र में पहले ही भुगतान की गई है, पर उद्‌गृणीय मंडी फीस के भुगतान से छूट का दावा करता है, घोषणा करेगा तथा प्ररूप एल–1 में समिति को प्रमाणपत्र देगा, जहां फीस अधिसूचित मंडी क्षेत्र के भीतर कृषि उपज को लाने के चौदह दिन के भीतर पहले ही भुगतान कर दी गई है। प्ररूप एल–1 समिति द्वारा नियत भुगतान पर मंडी के सचिव द्वारा जारी सम्यक् रूप से सत्यापित बुकलैट रूप में चोहरी प्रति में तैयार किया जाएगा। इस उप–नियम के अधीन मंडी फीस से छूट का दावा करने वाले व्यवहारी की समिति को प्ररूप एल–1 की मूल प्रति भेजने की ड्यूटी होगी जिस मंडी क्षेत्र के भीतर कृषि उपज लाई गई है। दूसरी प्रति समिति के कार्यालय को भेजी जाएगी जिसके मंडी क्षेत्र में ऐसी कृषि उपज लाई गई थी, तथा तीसरी तथा चौथी प्रतियां क्रमशः व्यवहारी–क्रेता तथा व्यवहारी–विक्रेता द्वारा रखी जाएगी तथा उसे मंडी फीस के सम्बन्ध में अनुरक्षित उनके लेखों के भाग रूप में रखा जाएगा। सचिव को विहित चौदह दिन के भीतर प्ररूप एल–1 प्रस्तुत करना व्यवहारियों के लिए अनिवार्य होगा, जिसमें असफल होने पर मंडी फीस के भुगतान में कोई भी छूट नहीं दी जाएगी।]

(4) समिति जिस मण्डी क्षेत्र से कृषि उपज लाई [3](–) गई है के कार्यालय में व्यवहारी द्वारा या उसके प्राधिकृत एजेंट द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित आर/आर की प्रति प्रस्तुत करने के लिए, अग्रेषण नोट, बिल्टी या चालान, जैसी भी स्थिति हो, उपरोक्त [4](उप–नियम (3), (5) तथा (6) के अधीन मण्डी फीस से छूट का दावा करने वाले व्यवहारी की डियूटि होगी। दूसरी समिति के कार्यालय में जिस मण्डी क्षेत्र के भीतर कृषि उपज लाई [5](–) गई है तथा तीसरी प्रति उस द्वारा रखी जानी है :

परन्तु यदि ऐसे आर/आर अग्रेषण नोट, बिल्टी या चालान की कोई भी प्रति सम्बन्धित समिति के कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है, तो छूट के लिए कोई दावा ग्रहण नहीं किया जाएगा।

[6](5) राज्य के भीतर से [7](या राज्य के बाहर से) प्रसंस्करण के लिए लाई गई कृषि उपज तथा जिसके लिए मण्डी फीस राज्य में [8](या राज्य के बाहर) किसी मण्डी में पहले ही भुगतान कर दी गई है, तो दूसरी बार मण्डी फीस के भुगतान से छूट होगी:

[9][परन्तु व्यवहारी जो प्रसंस्करण हेतु लाई गई किसी कृषि उपज पर उद्‌ग्रहणीय फीस के भुगतान से छूट का दावा करता है, घोषणा करेगा तथा समिति के सचिव द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित प्ररूप एल–2 में समिति को प्रमाणपत्र देगा जहां फीस अधिसूचित मंडी क्षेत्र के भीतर कृषि उपज को लाने के चौदह दिन के भीतर पहले ही भुगतान की गई है तथा उप–नियम (2) के उपबन्ध का अनुपालन किया गया है :

---

[1] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 26–3–1952 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] हरियाणा अधिसूचना संख्या का.आ. 13/ह.अ. 23/1961/धा. 43/2016 दिनांक 23–5–2016 द्वारा प्रतिस्थापित।

[3] हरियाणा अधिसूचना संख्या 1158–कृषि (1) 2006/2017, दिनांक 6–7–2006 द्वारा "प्ररूप ठ ठ" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[4] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 21–10–1982 द्वारा लोप किया गया।

[5] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 21–10–1982 द्वारा लोप किया गया।

[6] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 21–10–1982 द्वारा लोप किया गया।

[7] 1325–कृषि–धारा (1)–93/10233, दिनांक 31 मई, 1993 द्वारा क्रमशः "या राज्य के बाहर से' तथा 'या राज्य के बाहर' शब्द रखे गए।

[8] 1325–कृषि–धारा (1)–93/10233, दिनांक 31 मई, 1993 द्वारा क्रमशः "या राज्य के बाहर से' तथा 'या राज्य के बाहर' शब्द रखे गए।

[9] हरियाणा अधिसूचना का.आ. 13/ह.अ. 23/1961/धा. 43/2016 दिनांक 23–5–2016 द्वारा प्रतिस्थापित।

परन्तु यह और कि राज्य के बाहर से प्रसंस्करण के लिए लाई गई कृषि उपज पर दूसरी बार मंडी फीस के भुगतान से कोई छूट नहीं दी जाएगी यदि व्यवहारी/लाईसैन्सधारी द्वारा चौदह दिन के भीतर प्ररूप एल–II प्रस्तुत नहीं किया जाता है।]

[1](6) कोई भी मण्डी फीस राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त चावल, गेहू, सरसों तथा कपास के सिवाए कृषि तथा बागवानी उपज पर उद्गृहीत की नहीं जाएगी :

परन्तु व्यवहारी जो कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग के लिए खरीदी गई किसी कृषि उपज पर उदगृहणीय फीस के भुगतान से उप–नियम (6) के अधीन छूट का दावा करता है, तो रिकार्ड प्ररूप ठ– II में रखेगा। यदि ऐसी कृषि उपज दूसरी अधिसूचित मण्डी से लाई गई है, तो व्यवहारी कृषि उपज के लाने के बीस दिन के भीतर घोषणा करेगा तथा सचिव द्वारा विधिवत सत्यापित प्ररूप ठ– II में समिति को प्रमाण पत्रा देगा जहा से कृषि उपज खरीदी गई हैं।

[2][(7) कोई भी मंडी फीस फलों तथा सब्जियों पर उद्गृहीत नहीं की जाएगी जिसके सम्बन्ध में मंडी फीस राज्य के भीतर किसी मंडी में पहले ही भुगतान की गई है :

परन्तु क्रय बिल, परिवहन से सम्बन्धित दस्तावेजों सहित राज्य के भीतर किसी मंडी में मंडी फीस का भुगतान करने का सबूत सम्बद्ध समिति के व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिस मंडी क्षेत्र के भीतर कृषि उपज उसको उतारने से पूर्व लाई गई है। यदि कोई भी ऐसा क्रय बिल, परिवहन से सम्बन्धित दस्तावेज कृषि उपज को उतारने से पूर्व सम्बद्ध समिति के कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो छूट के लिए कोई भी दावा ग्रहण नही किया जाएगा।

(8) राज्य के भीतर या राज्य के बाहर से जॉब कार्य के लिए लाई गई कृषि उपज तथा जिसके लिए मण्डी फीस पहले ही दे दी गई है, राज्य में या राज्य के बाहर किसी मण्डी समिति में पहले ही भुगतान सीमा तक मण्डी फीस के भुगतान से छूट होगी। तथापि, मण्डी फीस की दरों का अन्तर, यदि कोई हो, भुगतानयोग्य होगा :

परन्तु व्यवहारी जो जॉब कार्य के लिए लाई गई किसी कृषि उपज पर पहले ही भुगतान की गई मण्डी फीस के लिए ऐसे जमा के दावे करता है, तो वह इस सम्बन्ध में घोषणा करेगा तथा समिति के सचिव द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित प्ररूप एल–II में समिति को प्रमाण–पत्र देगा जहां फीस अधिसूचित मण्डी क्षेत्र के भीतर कृषि उपज लाने के चौदह दिन के भीतर ही भुगतान किया गया है तथा इसके अतिरिक्त उप–नियम (2) के उपबन्धों का अनुपालन करेगा :

परन्तु यह और कि राज्य के बाहर से जॉब कार्य के लिए लाई गई किसी कृषि उपज पर दूसरी बार मण्डी फीस के भुगतान से कोई छूट नहीं होगी यदि प्ररूप एल–प व्यवहारी/लाईसैसधारी द्वारा चौदह दिन के भीतर प्रस्तुत नहीं की गई है।]

31. संव्यवहार तथा अनुरक्षित की जाने वाली फीस का लेखा.– (धारा 23 तथा 43(2)(vii)).– (1) प्रत्येक अनुज्ञप्त व्यवहारी तथा अनुज्ञप्ति प्राप्त करने से नियम 18 के अधीन छूट प्राप्त प्रत्येक व्यवहारी [3](संव्यवहार के दिन के [4](सातवें दिन) के भीतर कृषि उपज के प्रत्येक संव्यवहार प्रसंस्करण के लिए लाई गई कृषि उपज के प्रत्येक संव्यवहार के अपने क्रय तथा विक्रय दर्शाते हुए प्ररूप ड में विवरणी समिति को प्रस्तुत करेगा:)

[5](परन्तु नियम 18(2)(ख) तथा 18(2)(ग) के अधीन अनुज्ञप्ति लेने से छूट प्राप्त व्यक्ति उस द्वारा कृषि उपज के विक्रय के सम्बन्ध में इस उप–नियम के उपबन्धों से छूट प्राप्त होगा:)

[6](परन्तु यह और कि प्रत्येक संविदा कृषि प्रायोजक, जो संविदा कृषि करार करता है, तो तो वह प्ररूप थ में एक रजिस्टर रखेगा तथा खरीद की पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर समिति को प्ररूप द में सूचना देगा।)

---

[1] हरियाणा अधिसूचना संख्या 1158–कृषि (1) 2006/2017, दिनांक 6–7–2006 द्वारा जोड़ा गया।

[2] हरियाणा अधिसूचना का.आ. 13/ह.अ. 23/1961/धा. 43/2016 दिनांक 23–5–2016 द्वारा जोड़ा गया।

[3] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 12–9–1975

[4] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 31–8–1987 द्वारा "चार दिन" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[5] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 26–3–1982 द्वारा प्रतिस्थापित।

[6] हरियाणा अधिसूचना संख्या 1545–ए एस–1–2007/14293, दिनांक 9–8–2007 द्वारा जोड़ा गया।

परन्तु और कि व्यवहारी की दशा में, जो केवल फलों तथा सब्जियों का व्यापार करता है, तो उस व्यक्ति के ब्योरे प्ररूप ड में भरने आवश्यक नहीं होंगे जिसको एक क्विंटल से कम फल तथा सब्जियों की कोई मात्रा बेची जाती है:

परन्तु यह और कि यदि कच्चा आढ़तिया मण्डी समिति को प्ररूप ञ की एक प्रति भेजता है, तो कच्चा आढति या मण्डी समिति को प्ररूप ड भेजने से छूट प्राप्त होगा तथा खरीददार प्रत्येक विक्रेता से खरीदी गई प्रत्येक वस्तु के सम्बन्ध में केवल उसकी कुल मात्रा तथा कुल मूल्य प्ररूप ड में सूचित करेगा।

(2) समिति व्यवहारियों द्वारा किए गए कुल क्रय तथा विक्रय तथा उन से वसूलीयोग्य तथा वसूल फीस दर्शाने वाला प्ररूप ढ में एक रजिस्टर रखेगी।

(3) समिति उप–नियम (1) के अधीन प्रस्तुत विवरणी के आधार पर धारा 23 के अधीन भुगतानयोग्य फीस उदगृहीत करेगी।

[1](4) यदि कोई व्यवहारी उप–नियम (1) में यथा विहित विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है या समिति के अध्यक्ष के पास विश्वास का कारण है कि कोई ऐसी विवरणी गलत है, तो वह सम्बन्धित व्यवहारी को प्ररूप ण में नोटिस देने के बाद तथा ऐसी जांच के बाद, जो आवश्यक समझे, प्रश्नगत अवधि के दौरान व्यवहारी के कारबार के बराबर निर्धारण की कार्यवाही करने के लिए समिति के सम्मुख मामला रखेगा।)

(5) यदि व्यवहारी प्रायः विवरणी की प्रस्तुति में चूक करता है या यदि समिति की राय में व्यवहारी प्रायः मिथ्या विवरणी प्रस्तुत करता है, तो समिति व्यवहारी के लेखों का निरीक्षण करने के लिए आदेश दे सकती है।

(6) उप–नियम (1) के अधीन आदेश करने के बाद, समिति व्यवहारी को निरीक्षण के लिए नियत तिथि तथा स्थान सूचित करेगी :

परन्तु यदि व्यवहारी ऐसा चाहता है, तथा ऐसी फीस का भुगतान करता है जो समिति इस निमित्त नियत करे, तो निरीक्षण व्यवहारी के परिसर में की जाएगी।

(7) समिति उप–नियम (5) के अधीन उस द्वारा आदेशित निरीक्षण करने के लिए अपने एक या अधिक सदस्यों को प्राधिकृत कर सकती है। ऐसा सदस्य या ऐसे सदस्यों की समिति के ऐसे कर्मचारियों द्वारा सहायता की जाएगी जिन्हें उस प्रयोजन के लिए उस द्वारा प्रतिनियुक्ति किया जाए।

(8) ऐसा सदस्य या ऐसे सदस्य निरीक्षण के बाद विवरणी तैयार कर सकता है/सकते हैं या व्यवहारी की लेखा पुस्तकों में प्रकट संव्यवहारों के आधार पर पहले प्रस्तुत विवरणी में संशोधन कर सकते हैं, तथा समिति ऐसी विवरणी या संशोधित विवरणी के आधार पर धारा 23 के अधीन फीस या अतिरिक्त फीस, जैसी भी स्थिति हो, उदगृहीत कर सकती है, किन्तु यदि लेखा पुस्तकों की रिपोर्ट अविश्वसनीय के रूप में की गई है, या विवरणी को उचित तैयारी या संशोधन के लिए पर्याप्त सामग्री मुहैया नहीं कराई गई है या यदि कोई भी ऐसी पुस्तकें अनुरक्षित या प्रस्तुत नहीं की गई है, तो समिति ऐसी सूचना पर व्यवहारी के कारबार के बराबर निर्धारण कर सकता है जो उपलब्ध हो या सर्वोतम विवेक के आधार पर हों, तथा ऐसे निर्धारण के आधार पर फीस उदगृहीत करेगी।

(9) उप–नियम (8) के अधीन उद्गृहीत फीस या अतिरिक्त फीस के ईलावा समिति इस प्रकार उद्गृहीत फीस या अतिरिक्त फीस के समकक्ष [2](कोई) शास्ति चूककर्ता से वसूल कर सकती है।

(10) विवरणी की प्रस्तुति में सामान्य चूक तथा मिथ्या विवरणी की सामान्य प्रस्तुति किसी अनुज्ञप्ति के निलम्बन या रद्दकरण, या नवीकरण की अस्वीकृति के लिए पर्याप्त आधार होगा, तथा इस नियम के उपबन्ध किसी अन्य विधि, दण्ड या अन्यथा के अतिरिक्त लागू होंगे तथा न कि अप्रतिष्ठा में लागू होंगे, अधिनियम द्वारा या इन नियमों द्वारा, या किसी उप–विधि द्वारा या समिति के आदेश द्वारा व्यवहारी पर अधिरोपित किसी डियूटि के अननुपालन, या दोषपूर्ण

---

[1] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 12–9–1975

[2] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 26–3–1982 द्वारा प्रतिस्थापित।

अनुपालन को लागू होंगे।

(11) उप–नियम (8) तथा (9) के अधीन किए गए निर्धारण आदेश प्ररूप त में मांग नोटिस के साधन से उसको संसूचित किया जाएगा तथा उसकी एक प्रति उसके लिखित आवेदन करने पर तथा समिति की प्रतिलिपि फीस के रूप में दो रूपए की राशि का भुगतान करने पर व्यवहारी को दी जाएगी। प्रत्येक समिति प्रतिलिपि फीस का एक रजिस्टर रखेगी।

(12) प्रति समिति के कार्यालय में तैयार की जाएगी तथा सचिव या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त नियुक्त अन्य व्यक्ति द्वारा सही के रूप में प्रमाणित की जाएगी। ऐसा प्रमाणपत्र ऐसी तिथि को दिया जाएगा जिसको आवेदन प्राप्त हुआ था तथा प्रति तैयार की गई तथा आवेदक को दी गई तथा इन तिथियों के सहीपन का एकमात्र प्रमाण होगा।

(13) (***)

32. **अनुज्ञप्त दलालों तथा [1](गोदाम–रक्षक) द्वारा रखी जाने वाली पुस्तकें .–** (धारा 43(2) (xxxi)).– इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्त प्रत्येक दलाल तथा प्रत्येक गोदाम रक्षक–

(क) ऐसी पुस्तकें ऐसे रूप में रखेगा जो समिति समय–समय पर अनुज्ञप्ति देने के लिए अपनी उप–विधियों द्वारा विहित करे;

(ख) ऐसी विवरणी ऐसे समयों पर तथा ऐसे रूपों में देगा जो समिति विहित करे; तथा

(ग) ऐसी सहायता देगा जो अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों या उप–विधियों के अधीन देय फीस के संग्रहण में, उसके भुगतान को बहानों से रोकने में, तथा सामान्यतः अधिनियम या इसके अधीन बनाए नियमों या किन्हीं उप–विधियों के उल्लंघन को रोकने में समिति द्वारा अपेक्षित हो।

33. **कतिपय राशियों की वापसी .–** (धारा 43(2) (vii)(viii) तथा (ix)).– (1) जब–

(क) कोई राशि अनुज्ञप्ति देने के लिए जमा की गई है, जो वास्तव में जारी नहीं की गई है;

(ख) व्यक्ति ने गलत ढंग से आवेदन किया है तथा भुगतान किया है तथा उसी अधिसूचित मण्डी क्षेत्र के लिए उसी स्वरूप की दो या अधिक अनुज्ञप्तियां प्रदान की गई है; या

(ग) कोई मण्डी फीस वास्तविक रूप से देय राशि से अधिकतम में वसूल की गई; या

(घ) कोई मण्डी फीस किसी सौदे में वसूल की गई है जो इन नियमों के अधीन छूट प्राप्त है; या

(ड.) कोई धन राशि गलती से दी गई है; [1](मुख्य प्रशासक या समिति का अध्यक्ष), जैसी भी स्थिति हो, ऐसे जमा के छह मास के भीतर किए गए लिखित आवेदन पर तथा ऐसी जांच के बाद जो वह या इसे आवश्यक समझे, उचित राशि की वापसी का आदेश देगा जो विपणन विकास निधि या मण्डी समिति निधि में प्रथम दृष्टान्त में जमा की गई थी, के अनुसार विपणन विकास निधि या मण्डी समिति निधि में से वापसी बिल तैयार करने के बाद सम्बन्धित व्यक्ति को पुनः भुगतान की जाएगी।

(2) उप–नियम (1) द्वारा [2](मुख्य प्रशासक) को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग उसके ऐसे अधीनस्थ अधिकारी द्वारा भी प्रयोग किया जा सकता है जिसे वह इस निमित्त नियुक्त करे।

(3) वापसी के लिए आवेदन में ऐसे ब्योरे होंगे जो राशि को समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों जिसके लिए वापसी का दावा किया गया है, उसका पता लगाया जा सके।

34. **कृषि उपज की मिलावट की रोकथाम .–** (धारा 43 (2) (xxxiii)).– (1) कोई भी व्यक्ति किसी अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में विक्रय के लिए कृषि उपज में मिलावट नहीं करेगा, या मिलावटी कृषि उपज नहीं रखेगा या देगा।

---

[1] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 26–3–1982 द्वारा "गोदाम–रक्षक" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[2] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 2–12–1980 द्वारा "बोर्ड का अध्यक्ष" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(2) अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में कृषि उपज के अपमिश्रण को रोकने के लिए समिति की डियूटि होगी। समिति का अध्यक्ष या सचिव ऐसी मिलावट को रोकने, नहीं होने देने या हतोत्साह करने के लिए अपनी शक्ति के भीतर सभी या कोई कदम उठा सकता है।

व्याख्या .– इस नियम के प्रयोजनों के लिए कृषि उपज के मिलावट में बढ़िया उपज में घटिया माल का मिश्रण, विभिन्न किस्मों या विभिन्न दरजों का मिश्रण करना, कृषि उपज में कृषि उपज के छाने हुए अवशेषों का मिश्रण करना तथा किसी कृषि उपज में मिट्टी, धूल तथा पत्थर या कोई अन्य बाहरी पदार्थ का मिश्रण शामिल है।

35. **विहित किस्म का संरक्षण [1](–).–(धारा 43(2) (xxxi))** .– (1) प्ररूप झ, ञ, ड के प्रतिपर्ण पर्ण जिससे प्रतिपर्ण सम्बन्धित है, के जारी करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए सम्बन्धित व्यवहारी द्वारा सुरक्षित रखे जाएंगे। प्ररूप ठ में रजिस्टर उस तिथि जिसको अन्तिम प्रविष्टि उस रजिस्टर में की गई थी, के दो वर्ष की अवधि के लिए सम्बन्धित व्यवहारी द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा।

[2](2) तथा (3) लोप)

[3](36. **प्रतियां देने के लिए प्रक्रिया** .– (धारा 40 क).– (1) अधिनियम या नियमों के अधीन पारित आदेश की एक प्रति सम्बन्धित बोर्ड या समिति को मुफ्त दी जाएगी।

(2) कोई अन्य व्यक्ति, प्राधिकारी जिसनें ऐसे आदेश पारित किए है, को लिखित में आदेश की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन करेगा, तथा वह दो रूपए प्रति पेज के भुगतान पर दी जाएगी।)

37. **विपणन सूचना का प्रकाशन.–** (धारा 28 (vii) तथा 43(1)).– (1) जब कभी [4](मुख्य प्रशासक) द्वारा अपेक्षित हो, समिति मण्डी का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के लाभ के लिए अपने कार्यालय के बाहरी उपयुक्त स्थान पर तथा ऐसे अन्य स्थान पर या स्थानों पर उस द्वारा निर्धारित किया जाए, ऐसे मामलों की सूचना का बुलेटिन प्रदर्शित[5] कर सकती है, जैसे कि राज्य में मुख्य विपणन केन्द्रों तथा राज्य सेवारत बन्दरगाह पर प्रमुख कृषि उपज की कीमतें तथा मिलों तथा सदृश द्वारा रखे गए स्टाक।

(2) समिति द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा अधिप्रमाणित सभी महत्वपूर्ण कृषि वस्तुओं की दैनिक दरें [6](सहजदृश्य स्थानों पर हिन्दी) में प्रदर्शित की जाएंगी।

(3) ऐसे बुलेटिन अध्यक्ष या अन्य व्यक्ति जिसे लिखित में उस द्वारा नियुक्त किया जाए, द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे तथा प्रत्येक ऐसे बुलेटिन की प्रति समिति के कार्यालय में रिकार्ड के लिए रखे जाएंगे।

38. **भण्डारण आवास** .– (धारा 43(2) (xv)). (1) समिति जब आवश्यक हो, कृषि उपज के अस्थाई भण्डारण या संग्रहण के लिए आवास का प्रबन्ध कर सकती है।

(2) समिति ऐसे भण्डारण तथा संग्रहण के लिए ऐसी फीस प्रभारित करेगी जो अपनी उप–विधियों द्वारा विहित करे।

[7](39. **भास्तियां अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया.–** (धारा 37)–(1) शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्राधिकारी प्ररूप ध में सभी सम्बन्धित को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा।

(2) सभी प्रभावित पक्षकारों को या तो व्यक्तिगत रूप में या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों/अभिकर्ताओं के माध्यम से सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

---

[1] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 12–9–1975

[2] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 12–9–1975

[3] हरियाणा सरकार अधिसूचना संख्या 308–ए एस–(1)–2008/1749, दिनांक 2–2–2008 द्वारा प्रतिस्थापित।

[4] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 5–2–1980 द्वारा "बोर्ड का अध्यक्ष" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[5] हरियाणा अधिसूचना दिनांक 26–3–1982 द्वारा "में प्रदर्शित" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[6] अधिसूचना संख्या 12 सितम्बर, 1975 द्वारा "हिन्दी" शब्द प्रतिस्थापित किया गया।

[7] हरियाणा सरकार अधिसूचना संख्या 308–ए एस–(1)–2008/1749, दिनांक 2–2–2008 द्वारा प्रतिस्थापित।

(3) पक्षकारों की सुनवाई के बाद, प्राधिकारी अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार शास्ति अधिरोपित करेगा।)

[1](40. **अपील के लिए प्रक्रिया.**– (धारा 40)– (1) धारा 40 के अधीन की गई प्रत्येक अपील पर पन्द्रह रूपए की न्यायालय फीस स्टैम्प लगाई जाएगी तथा अपीलार्थी या उसके विधिवत प्राधिकृत एजेंट द्वारा ज्ञापन के रूप में अपील प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी। ज्ञापन में अपीलीय आदेश के विरूद्ध आक्षेपों के आधारों को संक्षेप में बताया जाएगा तथा ऐसे आदेश की प्रमाणित प्रति तथा प्रतिवाद आदेश के अनुसार फीस, यदि देय हो, के भुगतान के सबूत की प्रति भी संलग्न की जाएगी।

(2) अधिनियम के अधीन अपील दायर करने के लिए समय सीमा की संगणना करने में आदेश की प्रति प्राप्त करने में लगे समय को अलग किया जाएगा।

(3) अपील सम्बन्धित पक्षकारों को नोटिस देने तथा सुनवाई करने के बाद तथा ऐसी जांच जो अपील प्राधिकारी आवश्यक समझे, करने के बाद निर्णीत की जाएगी।)

[2](41. **ब्याज का भुगतान** .– (धारा 46), अनुबद्ध अवधि की समाप्ति के बाद समिति या बोर्ड, जैसी भी स्थिति हो, को देय किसी राशि पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज भुगतानयोग्य होगा।

41क. **नियमों में छूट (धारा 43)** – राज्य सरकार पर्याप्त कारणों से सन्तुष्ट होने पर इन नियमों के उपबन्धों से किसी सरकारी, अर्ध–सरकारी अभिकरण को छूट दे सकती है।)

42. **रिकार्ड का संरक्षण.**– बोर्ड तथा मण्डी समितियों का सम्बन्धित रिकार्ड इससे संलग्न अनुसूची में प्रत्येक के सामने बताई गई अवधि तक संरक्षित रखे जाएंगे :–

अनुसूची

वर्णन		अवधि
बजट	...	5 वर्ष
साधारण रोकड़ बही	...	स्थाई रूप से
स्थापना बिल	...	35 वर्ष
साधारण बिल	...	3 वर्ष
तुलन–पत्र	...	10 वर्ष
खाता–बही	...	10 वर्ष
जमा का रजिस्टर	...	स्थाई रूप से
[3]प्ररूप क में आवेदन	...	स्थाई रूप से
[4]अन्य आवेदन प्ररूप	...	5 वर्ष
दैनिक खरीद तथा बिक्री की विवरणी	...	विक्रय लेखा–परीक्षा के बाद एक वर्ष
प्राप्तियां	...	3 वर्ष
कृषि उपज के विक्रय तथा क्रय रजिस्टर	...	10 वर्ष
अनुज्ञप्ति रजिस्टर	...	10 वर्ष
भविष्य निधि रजिस्टर	...	10 वर्ष या इससे सम्बन्धित सभी लेखों के बन्द होने तक।
कर्मचारियों की सेवापंजी	...	सेवानिवृत्ति या मृत्यु (जो भी पहले हो) के बाद 5 वर्ष

---

[1] हरियाणा सरकार अधिसूचना संख्या 308–ए एस–(1)–2008/1749, दिनांक 2–2–2008 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] हरियाणा सरकार अधिसूचना संख्या 308–ए एस–(1)–2008/1749, दिनांक 2–2–2008 द्वारा नियम 41 तथा 41क जोड़ा गया।

[3] संख्या 5766–कृषि II (4). 73/15638, दिनांक 12–9–1975 द्वारा "में" तथा 'क' शब्द रखे गए

[4] * में निर्दिष्ट संख्या द्वारा 'अन्य' शब्द तथा '5' अंक प्रतिस्थापित।

बोर्ड या समिति या उप–समिति की कार्यवाहियों के रजिस्टर	...	स्थाई रूप से
पत्राचार के रजिस्टर	...	स्थाई रूप से
चैक बुक	...	10 वर्ष
पास बुक	...	10 वर्ष
यात्रा भत्ता बिल	...	3 वर्ष
पट्टा विलेख भत्ता बिल	...	उनके प्रभाव के बन्द होने की तिथि से 10 वर्ष
प्रतिभूति बाण्ड	...	उनके प्रभाव के बन्द होने की तिथि से 10 वर्ष
खजाना चालान	...	3 वर्ष
पेशगी लेखा रजिस्टर	...	3 वर्ष
हाजरी रजिस्टर	...	1 वर्ष
चल सम्पति रजिस्टर	...	10 वर्ष
पुस्तकालय रजिस्टर	...	10 वर्ष
मांग तथा संग्रहण रजिस्टर	...	10 वर्ष
टिकट (स्टैम्प) रजिस्टर	...	3 वर्ष
स्टाक रजिस्टर	...	10 वर्ष
न्यायालय मामलों का रजिस्टर	...	10 वर्ष
निवेश रजिस्टर	...	स्थाई रूप से
कर्मचारियों की नियुक्ति, हटाए जाने तथा बरखास्तगी	....	35 वर्ष
अन्य रिकार्ड जिसे बोर्ड या समिति तीन वर्ष से अधिक के लिए सरंक्षण का निर्णय करे।	....	ऐसी अवधि (10 वर्ष से कम नहीं) जो बोर्ड या समिति द्वारा विहित की जाए

*हरियाणा अधिसूचना संख्या 1452–कृषि · धा. (1)–96/1183, दिनांक 15–5–1996 द्वारा प्रतिस्थापित।

43. **निसन तथा व्यावृत्ति** .– पंजाब कृषि उपज, मण्डी नियम, 1940 तथा पटियाला कृषि उपज मण्डी नियम, 2000 बी. के. इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं :–

परन्तु ऐसा निरसन निम्नलिखित पर प्रभाव नहीं डालेगा–

(क) इस प्रकार निरसित किसी नियम का पूर्व प्रचालन या उसके अधीन विधिवत की गई या आक्रान्त कोई बात; या

(ख) इस प्रकार निसित किसी नियम के अधीन अर्जित या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व या जारी कोई अनुज्ञप्ति; या

(ग) इस प्रकार निरसित किसी नियम के विरूद्ध किए गए किसी अपराध के सम्बन्ध में उपगत कोई शास्ति, जब्ती या दण्ड; या

(घ) यथा पूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, अनुज्ञप्ति, शास्ति, जब्ती या दण्ड के सम्बन्ध में कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपाय;

तथा कोई ऐसा अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपाय संस्थित, जारी या लागू किया जा सकता है, तथा कोई ऐसी शास्ति, जब्ती या दण्ड अधिरोपित किया जा सकता है, मानों ये नियम पारित नहीं किए गए थे :

परन्तु यह और कि इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी, तथा तदानुसार तब तक निरन्तर लागू रहेगी जब तक इन नियमों के अधीन की गई किसी बात या की गई कार्यवाही द्वारा अधिक्रमित नहीं की जाती।

[1][प्ररुप क
(देखिए नियम 17 (1))

सेवा में,

मुख्य प्रशासक,
हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
सचिव, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
पंचकूला या कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव, सम्बद्ध मंडी समिति,
जैसी भी स्थिति हो, के माध्यम से।

श्रीमान जी,

मेरे कारोबार के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :–

1	पूरे पते सहित आवेदक का नाम		
(i)	आधार संख्या (जहां कहीं लागू हो)		
(ii)	पैन नम्बर		
(iii)	मोबाईल नम्बर		
(iv)	ई–मेल पता		
2	अधिसूचित मंडी क्षेत्र या विहित जोन या सम्पूर्ण राज्य के लिए जिसमें आवेदक कारबार करना चाहता है।		
3.	कारबार का स्थान जिसके लिए लाईसैंस के लिए आवेदन किया गया है (भवन का नाम या नम्बर तथा गली का नाम या नम्बर या परिसरों को पहचान के लिए पर्याप्त अन्य विवरण दें) (प्रवर्ग II के लाईसैन्स हेतू अर्थात् कच्चा आढ़तियां/कमीशन एजेंट के लिए परिसर का अधिसूचित मंडी प्रांगण में होना चाहिए)।		
4.	यदि आवेदक कोई फर्म है, क्या यह हिन्दू संयुक्त परिवार फर्म या अन्यथा गठित है तथा क्या यह रजिस्टर्ड की गई है या नहीं?		
5.	यदि आवेदक कोई फर्म है, तो सभी व्यक्तियों के नाम दें जिनसे फर्म गठित की गई है।		
क्रम संख्या	नाम	पिता/पति का नाम	पूरा पता
6	फर्म के प्रबन्धक मालिक या प्रबन्धक का नाम		
	आधार नम्बर		

[1] हरियाणा अधिसूचना संख्या का.आ. 13/ह.अ. 23/1961/धा. 43/2016 दिनांक 23–5–2016 द्वारा प्ररूप "क" प्रतिस्थापित किया गया।

7	नाम तथा किस्म जिसके अधीन आवदेक काम करेगा।		
8	क्या आवदेक, या जहां आवेदक कोई फ़र्म है, तो क्या उसका कोई सदस्य है, एकल या किसी अन्य के सहयोग से बनी है, को राज्य के किसी मंडी क्षेत्र में किसी व्यवहारी को लाईसैंस दिया गया है तथा क्या ऐसा लाईसैंस निलम्बित या रदद किया गया है? यदि ऐसा है, तो कब, किस अवधि के लिए तथा किस कारण के लिए?		

8. आवेदित किए गए लाईसैस का प्रवर्ग :–

1. (क) जिसमें 2.00 करोड़ रुपए या से अधिक का वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारी/थोक व्यवहारी, कारखाना कृषि उपज के विक्रय, क्रय, भण्डारण, पैकेजिंग, छंटाई, ग्रेडिंग, ओटाई कारखाने, शैलर, आटा मिल, तेल एक्सपेलर, दाल मिल/या प्रशीतन के लिए शीतागार शामिल है।

(ख) जिसकी वार्षिक टर्नओवर/कुल ब्रिकी 12.0 लाख रुपये है किन्तु 2.00 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है। व्यापारी/थोक व्यवहारी, कारखाना जिसमें कृषि उपज के विक्रय, क्रय, भण्डारण, पैकेजिंग, ग्रेडिग, ओटाई कारखाना, शैलर, आटा मिल, तेल एक्सपेलर, दाल मिल/या प्रशीतन के लिए शामिल है।

2. कृषि उपज के विक्रय, क्रय या भण्डारण के लिए कमीशन एजेंट या कच्चा आढ़तिया।

3. अन्य व्यवहारी जिसकी कृषि उपज का वार्षिक टर्नओवर दो लाख रुपये से अधिक है किन्तु बारह लाख रुपये से अधिक नहीं है।

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में निर्दिष्ट तथ्य मेरी सर्वोतम जानकारी के अनुसार सत्य है, मैं हरियाणा कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1961 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उपविधियों के उपबन्धों का पालन करने को मानता हूं।

मैं अपने कर्मचारियों के सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार हूंगा। यह अनुरोध किया जाता है कि हरियाणा कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1961 की धारा 10 के अधीन लाईसैस प्रदान करने की कृपा करें।

आवेदक के हस्ताक्षर।]

[1](प्ररूप क–I)
[देखिए नियम 16क (1)]
धारा 8क(1) के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन

सेवा में

सचिव,
हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
पंचकूला।

श्रीमान जी,

हम, निम्नहस्ताक्षरी, इसके द्वारा, संविदा कृषि प्रायोजक के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करते है। आवश्यक ब्योरे निम्न अनुसार दिए गए है:–

1. आवेदक का नाम :
2. मकान नम्बर, गांव/नगर/शहर तथा राज्य सहित पूरा पता :
3. कारबार का स्थान :
4. रजिस्ट्रेशन नम्बर :
(कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1), भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) तथा हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम, 1984 (1984 का 22) या कोई सरकारी अभिकरण):
5. यदि आवेदक फर्म है, तो फर्म गठित करने वाले व्यक्तियों के ब्योरे :

क्रम संख्या	नाम	पिता/पति का नाम	पूरा पता

6. फर्म के प्रबन्धक स्वामी का नाम :
7. प्रबन्धक, निदेशक या सक्षम प्राधिकारी का नाम (कम्पनी या सोसाइटी या सरकारी अभिकरण की दशा में)
8. आयकर विवरणों के बारे में ब्योरे :

क्रम संख्या	वर्ष	टर्नओवर	भुगतान कर

9. संविदा कृषि के लिए करार किए जाने हेतु आशयित क्षेत्र के ब्योरे :

क्रम संख्या	गांव	तहसील	कुल भूमि	वस्तु

10. नाम तथा शैली जिसके अधीन आवेदक
11. हम मण्डी समिति, .../सम्पूर्ण राज्य के लिए रजिस्ट्रेशन चाहते हैं।

प्रमाणित किया जाता है आवेदन में बताए गए तथ्य मेरे सर्वोतम ज्ञान के अनुसार सत्य है। मैं पंजाब कृषि उप मण्डी अधिनियम, 1961, इसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उप–विधियों के उपबन्धों का पालन करने का वचन देता हूं।

आवेदक के हस्ताक्षर
(कार्यालय मोहर सहित पूरा पता तथा पदनाम स्वामी सहित)

---

[1] हरियाणा अधिसूचना संख्या 1545–ए एस–1–2007/14293, दिनांक 9–8–2007 द्वारा जोड़ा गया।

[1][प्ररूप क–1 (क)
[देखिए नियम 17 क (1)]
स्थल विनिमय के लिए लाईसैंस देने हेतु आवेदन

सेवा में

मुख्य प्रशासक
हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड
पंचकूला।

मैं/हम/(नाम) ....(पता) .... (दूरभाष नम्बर) .... आधारा नम्बर .... ई–मेल पता .... राज्य में निम्नलिखित अधिसूचित कृषि उपज .... हेतु ई–व्यापार के लिए स्थल विनिमय के लिए लाईसैंस देने हेतू आवेदन करता हूं/करते हैं। यथा अपेक्षित आवश्यक दस्तावेज संलग्न किए जा रहे हैं। .... उपरोक्त वर्णित लाईसैंस प्राप्त करने के लिए नियमों के अनुसार .... रुपये की आवश्यक लाईसैंस फीस भुगतान करने के लिए तैयार हूं/हैं तथा इच्छुक हूं/हैं। आपसे मुझे लाईसैंस देने के लिए अनुरोध करता हूं/करते हैं।

आपका शुभचिन्तक,
आवेदक के हस्ताक्षर

इस आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेज :–

(i) कम्पनी, सहकारी सोसाइटी, न्यास, निगम, भागीदारी इत्यादि के सम्बन्ध में संस्थापन या रजिस्ट्रेशन का प्रमाणपत्र।

(ii) संगम ज्ञापन या संगम अनुच्छेद।

(iii) सभी निदेशकों तथा स्वामियों तथा भागीदारों, इत्यादि के नाम तथा पता टेलीफोन नम्बर।

(iv) लाईसैंस फीस भुगतान करने के समर्थन में रसीद।

(v) प्रचालन तथा कार्य मार्गदर्शन जैसे कि स्थल विनिमय कैसे चलाया जाएगा या संचालित किया जाएगा।

(vi) वचनबद्धता शपथपत्र कि आवेदक अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के सभी उपबन्धों का पालन करेगा तथ उल्लंघन की दशा में वह दण्डात्मक कारवाई के लिए दायी होगा जिसमें लाईसैंस का रद्दकरण भी शामिल है।

(vii) नियम 17 क (2) में यथा उपबन्धित बैंक गारंटी।

(viii) आयकर विवरणी।

(ix) सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा दी गई स्थाई मान्यता के पत्र की अधिप्रमाणित प्रति।

दिनांक : आवेदक के हस्ताक्षर]

स्थान :

---

[1] हरियाणा अधिसचना संख्या का.आ 13/ह.अ. 23/1961/धा. 43/2016 दिनांक 23–5–2016 द्वारा प्रतिस्थापित।

(प्ररूप क–II)

[देखिए नियम 16क (3)]

धारा 8क(1) के अधीन रजिस्ट्रेशन के नवीकरण के लिए आवेदन

सेवा में

सचिव,
हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
पंचकूला।

श्रीमान जी,

हम, निम्नहस्ताक्षरी, इसके द्वारा, संविदा कृषि प्रायोजक के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करते है। आवश्यक ब्योरे निम्न अनुसार दिए गए हैः–

1. आवेदक का नाम :
2. मकान नम्बर, गांव/नगर/शहर तथा राज्य सहित पूरा पता :
3. कारबार का स्थान :
4. रजिस्ट्रेशन नम्बर :
(कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1), भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) तथा हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम, 1984 (1984 का 22) या कोई सरकारी अभिकरण) :
5. यदि आवेदक फर्म है, तो फर्म गठित करने वाले व्यक्तियों के ब्योरे :

क्रम संख्या	नाम	पिता/पति का नाम	पूरा पता

6. फर्म के प्रबन्धक स्वामी का नाम :
7. प्रबन्धक, निदेशक या सक्षम प्राधिकारी का नाम (कम्पनी या सोसाइटी या सरकारी अभिकरण की दशा में)
8. आयकर विवरणों के बारे में ब्योरे :

क्रम संख्या	वर्ष	टर्नओवर	भुगतान कर

9. संविदा कृषि के लिए करार किए जाने हेतु आशयित क्षेत्र के ब्योरे :

क्रम संख्या	गांव	तहसील	कुल भूमि	वस्तु

10. नाम तथा शैली जिसके अधीन आवेदक
11. तिथि जिसको रजिस्ट्रेशन समाप्त हो रहा हैः–
12. भुगतान फीस : रूपए ....
13. भुगतान शास्ति, यदि कोई हो; रूपए ....
14 हम मण्डी समिति/सम्पूर्ण राज्य के लिए रजिस्ट्रेशन चाहते हैं।

प्रमाणित किया जाता है आवेदन में बताए गए तथ्य मेरे सर्वोतम ज्ञान के अनुसार सत्य है। मैं पंजाब कृषि उप मण्डी अधिनियम, 1961, इसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उप–विधियों के उपबन्धों का पालन करने का वचन देता हूं।

मैं मेरे कर्मचारी के सभी कार्यों के लिए जिम्मेवार हूंगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

(कार्यालय मोहर सहित पूरा पता तथा पदनाम स्वामी सहित)

[1][प्ररुप ख

[देखिए नियम 17 (4)]

धारा 10 के अधीन लाईसैंस

यह लाईसैंस इसके नीचे विहित शर्तों के अध्यधीन मंडी समिति या जोन या सम्पूर्ण राज्य .... के अधिसूचित मंडी क्षेत्र के लिए मैसर्ज .... को प्रदान किया जाता है:–

1	लाईसैंस की क्रम संख्या।	
2	प्रतिशतता सहित फर्म के प्रबन्धक मालिक या प्रबन्धक का नाम।	
3	तिथि जिससे लाईसैंस प्रभावी है।	
4	तिथि जिसको लाईसैंस समाप्त होगा।	
5	प्रदान किए गए लाईसैंस के प्रवर्ग	(i) (क) 2.00 करोड़, रुपए या से अधिक की वार्षिक टर्नओवर रखने वाले व्यापारी/थोक व्यवहारी, कारखाना जिसमें कृषि उपज विक्रय, क्रय, भण्डारण, पैकेजिंग, छंटाई, ग्रेडिंग, ओटाई कारखानेए शैलर, आटा मिल, तेल एक्सपेलर, दाल मिल/या प्रशीतन के लिए शीतागार शामिल है। या (ख) जिसकी वार्षिक टर्नओवर/कुल बिक्री 12.00 लाख रुपये है किन्तु 2.00 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है व्यापारी/थोक व्यवहारी, कारखाना जिसमें कृषि उपज के विक्रय, क्रय, भण्डारण, पैकेजिंग, छंटाई, ग्रेडिंग, ओटाई कारखाना, शैलर, आटा मिल, तेल एक्सपेलर, दाल मिल या प्रशीतन के लिए शीतागार शामिल है। या (ii) कृषि उपज के विक्रय, क्रय या भण्डारण के लिए कमीशन एजैंट या कच्चा आढ़तियां या (iii) अन्य व्यवहारी जिसकी कृषि उपज की वार्षिक टर्नओवर दो लाख रुपये से अधिक है किन्तु बारह लाख रुपये से अधिक नहीं है।
6	मंडी समिति या विहित जोन या सम्पूर्ण राज्य का अधिसूचित मंडी क्षेत्र जिसमें लाईसैंस वैध है।	
7	कारबार का स्थान	

स्थान :

दिनांक :

मुख्य प्रशासक,
हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड

[1] हरियाणा अधिसूचना संख्या कॅा.आ. 13/ह.अ. 23/1961/धा. 43/2016 दिनांक 23-5-2016 द्वारा प्रतिस्थापित।

लाईसैंस की शर्तें:—

1. लाईसैंसधारी, हरियाणा कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1961 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उप–विधियों तथा समय–समय पर जारी हिदायतों का अनुपालन करेगा।
2. उसे अधिनियम, नियमों तथा उप–विधियों के किन्हीं उपबन्धों का अपवंचन या अतिलंघन करने की अनुमति नहीं होगी और वह किसी अपवंचन या उल्लंघन जो उसकी जानकारी में आता है, लिखित में मंडी समिति को सूचित करेगा।
3. वह मांग करने पर बोर्ड के मुख्य प्रशासक या इस निमित्त उस द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी या मंडी समिति के अध्यक्ष को इस सम्बन्ध में लाईसैंसधारी को दी जाने वाली रसीद के विरुद्ध अपना लाईसैस समर्पित करेगा।
4. वह अपना कारबार निष्कपट व्यवहार के सिद्धान्तों के अनुसार ईमानदारी से तथा उचित रूप से करेगा।
5. वह अपना लाईसैंस अपने कारबार परिसरों के सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा।
6. वह अपने कारबार परिसरों को कृषि उपज के भण्डारण के लिए साफ तथा उपयुक्त स्थिति में रखेगा।
7. वह किसी अन्य लाईसैंसधारी का बॉयकाट नहीं करेगा या बॉयकाट करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेगा।
8. वह ऐसी गतिविधियों तथा व्यवसाय में आशक्त नही होगा, जो मंडी के व्यापार तथा उचित कृत्य करने के हित के लिए हानिकारक हैं।
9. वह किसी लाईसैन्सधारी दलाल, तोलकार, मापक, पर्यवेक्षक या पलेदार को अपनी सेवा में नही लेगा या बनाए नहीं रखेगा।
10. वह विक्रय या भण्डारण के लिए अपनी दुकान में लाई गई कृषि उपज की सुरक्षित अभिरक्षा तथा संरक्षण के लिए जिम्मेदार होगा।
11. वह प्रतियोगिता विलोपन करने के लिए अन्य क्रेता के साथ संघ या संगठन नहीं बनाएगा या विक्रेता को उसकी उपज के उचित मूल्य से वंचित करने के लिए कोई ऐसा प्रयास नहीं करेगा।
12. वह लाईसैंस की समाप्ति या शीघ्रतम समाप्ति पर उसे समिति को समर्पित करेगा।
13. वह, जब मंडी समिति या इस द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिनियम के अधीन कृषि उपज के विक्रय तथा क्रय से सम्बन्धित अपने कारबार से सम्बन्धित मामलों की सही सूचना पस्तुत करेगा।
14. प्रतिभूति लाईसैस प्राधिकारी द्वारा भागतः या पूर्णतः जब्त किए जाने के लिए दायी होगी यदि लाईसैंसधारी लाईसैंस की किसी शर्त की उल्लंघना करता है।]

[1][प्ररूप ख (क)

[देखिए नियम 17 क (1)]

स्थल विनिमय के लिए लाईसैंस

निम्नलिखित शर्तो पर पंजाब कृषि उपज मंडी (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 17 क के उपबन्धों में अध्यधीन .... मंडी समिति के मंडी क्षेत्र में कृषि उपज के ई–व्यापार के लिए स्थल विनिमय हेतु .... रुपये की फीस के भुगतान पर .... (नाम तथा पता) .... (दूरभाष नम्बर) .... (जिसे, इसमें, इसके बाद लाईसैंसधारी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) को इसके द्वारा, लाईसैंस दिया गया है :–

1. लाईसैंसधारी, हरियाणा कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1961 तथा नियमों के उपबन्धों तथा मुख्य प्रशासक के साथ लाईसैसधारी द्वारा किए गए करार की शर्तों का पालन करेगा।
2. यह लाईसैंस अन्तरणयोग्य नहीं है।
3. यह लाईसैंस उक्त अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार निलम्बित या रद्द किया जा सकता है यदि लाईसैंस धारक अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के विरुद्ध कोई कार्य करता है या मंडी क्षेत्र में कृषि उपज के विपणन करने में जानबूझकर बाधा डालने, निलम्बित करने या रोकने के निश्चय से मंडी में अपने सामान्य कारबार चलाने से परहेज करता है।
4. इस लाईसैंस के निलम्बन या रद्दकरण की दशा में, इसे तुरन्त मुख्य प्रशासक को समर्पित किया जाएगा।
5. लाईसैंसधारी मिलावट नही करेगा या किसी घोषित कृषि उपज की मिलावट नहीं करवाएगा।
6. लाईसैंसधारी मंडी फीस के अपवंचन को रोकने में मुख्य प्रशासक की सहायता करेगा।
7. लाईसैंसधारी, मुख्य प्रशासक द्वारा लाईसैंस देने के बाद, पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर लाईसैंसधारी के प्राधिकृत प्रतिनिधि के बारे में सूचना देगा जो उसकी ओर से जिम्मेवार होगा।
8. लाईसैंसधारी मुख्य प्रशासक द्वारा अपेक्षित रीति में पुस्तकों, रजिस्टरों तथा अभिलेखों का अनुरक्षण करेगा तथा मुख्य प्रशासक या उस द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को निरीक्षण के लिए उन्हें उपलब्ध कराएगा।
9. लाईसैंसधारी मुख्य प्रशासक को सूचना तथा विवरणी प्रस्तुत करेगा जो समय–समय पर उस द्वारा मांगी जाए।
10. लाईसैंसधारी, विक्रेता को इस प्रकार बेची गई कृषि उपज की कीमत उसी दिन भुगतान करना सुनिश्चित करेगा।
11. लाईसैंसधारी किसी फीस की मांग या प्राप्त नहीं करेगा या उन प्रभारों से अन्यथा किसी ऐसे प्रभारों को वसूल नहीं करेगा जिनको वह अधिनियम या नियमों के उपबन्धों के अनुसार प्राप्त या वसूल करने के लिए हकदार है।
12. लाईसैंसधारी कोई व्यापार भत्ता नही देगा या वसूल नहीं करेगा (यह नियम 17 क के (ड) के नीचे द्वितीय परन्तुक से सम्बन्धित है)।
13. लाईसैंसधारी प्राधिकृत भार तथा माप मुहैया करेगा।
14. लाईसैंसधारी अनुज्ञप्त तोलकार या मापकों तथा हैमलों को केवल बोर्ड/मंडी समिति द्वारा नियत दरों पर भुगतान करेगा।
15. लाईसैंसधारी कम्पनी के गठन में किसी परिवर्तन की मुख्य प्रशासक को सूचना देगा।
16. लाईसैंसधारी हरियाणा कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1961 की धारा 8 ग (8) के अधीन उपबन्धित रीति में अधिसूचित कृषि उपज के विपणन के सम्बन्ध में अपने सभी विवादों का हवाला देगा।

---

[1] हरियाणा अधिसूचना संख्या का.आ. 13/ह.अ. 23/1961/धा. 43/2016 दिनांक 23–5–2016 द्वारा प्रतिस्थापित

17. लाईसैंसधारी हर रोज आगामी/स्थल कीमतों को दर्शाने के लिए मंडी में प्रमुख स्थान पर इलैक्ट्रोनिक इन्टर बोर्ड/टर्मिनल मुहैया करेगा।

दिनांक :

स्थानः

मुख्य प्रशासक]

[1][प्ररूप ख –I]

[देखिए नियम 16 क (5)]

रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र

रजिस्ट्रेशन नम्बर : ....

दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि पंजाब कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का पंजाब अधिनियम 23) के उपबन्धों के अनुसार जिसका कार्यालय .... में है, इसके द्वारा .... को उनके बीच हुए करार करने के लिए रजिस्टर्ड किया जाता है। यह प्रमाणपत्र इसके जारी होने की तिथि से तीन वर्ष के लिए वैध होगा।

रजिस्ट्रेशन की शर्तें नीच दी गई हैं :–

1. रजिस्ट्रेशन धारक अधिनियम, नियमों, उपविधियों तथा इस सम्बन्ध में जारी हिदायतों का पालन करेगा।

2. रजिस्ट्रेशन धारक संविदा कृषि करार में दिए गए निबन्धनों तथा शर्तों का पालन करेगा।

3. यदि, संविदा कृषि प्रायोजक अधिनियम, नियमों तथा उप–विधियों या संविदा करार की शर्तों की उल्लंघना करता है, तो मण्डी समिति का सचिव या बोर्ड का सचिव, जैसी भी स्थिति हो, को उसका रजिस्ट्रेशन रद्द करने की शक्ति होगी।

हस्ताक्षर

सचिव, मण्डी समिति/सचिव, हरियाणा
राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकूला।

[2][प्ररुप ग

[देखिए नियम 17 (5) तथा 19 (3)]

धारा 10/13 के अधीन जारी लाईसैंसों का रजिस्टर

यह लाईसैंस इसके नीचे विहित शर्तो के अध्यधीन मंडी समिति या जोन या सम्पूर्ण राज्य .... के अधिसूचित मंडी क्षेत्र के लिए मैसर्ज .... को प्रदान किया जाता है:–

क्रम संख्या	विवरण	
1	अधिसूचित मंडी क्षेत्र	
2	फर्म का नाम	
3	परिसरों का पता	
4	प्रबंधक मालिक का नाम	
5	लाईसैंस नम्बर	
6	लाईसैंस का स्वरूप	
7	हिस्सेदार का नाम	

क्रम संख्या	नाम	पिता का नाम	पता
1			

[1] हरियाणा अधिसूचना संख्या 1545–ए एस–I–2007/14293, दिनांक 9–8–2007 द्वारा जोड़ा गया।

1	2	3	4	5	6	7
इन्द्राज की तिथि	तिथि जिससे लाईसैंस प्रभावी है	तिथि जिसको लाईसैंस समाप्त होता है	प्राप्त लाईसैंस फीस	रसीद नम्बर और तिथि	जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर और पद नाम	टिप्पणी

[1][प्ररुप ग ग
[देखिए नियम 17 क (1)]
स्थल विनिमय को लाईसैंस धारक का रजिस्टर

क्रम संख्या	आवेदक का नाम तथा पता	लाईसैंस के लिए आवेदन की प्राप्ति की तिथि	लाईसैंस की किस्म तथा जारी करने की तिथि	मंडी क्षेत्र (क्षेत्रों)	लाईसैंस संख्या तथा फीस (रुपए)	लाईसैंस संख्या तथा तिथि	लाईसैंस की वैधता	टिप्पणियां तथा हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

[2][प्ररूप ग –I]
[देखिए नियम 16 क (6)]
संविदा कृषि के लिए करार का प्ररूप

यह करारनाम .... 200 .... के दिन को .... श्री .... सपुत्र श्री .... आयु ....निवासी .... जिसे, इसमें, इसके बाद एक भाग का "प्रथम भाग का पक्षकार" (जिसकी अभिव्यक्ति का अर्थ; जब तक संदर्भ या उसका अर्थ प्रतिकूल न हो, होगा तथा इसमें इसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक तथा नियुक्त शामिल है) कहा गया है, तथा पंजाब कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का पंजाब अधिनियम 23) के उपबन्धों के अधीन रजिस्टर्ड प्राईवेट / सरकारी लिमिटेड कम्पनी / सोसाइटी / फर्म / सरकारी अभिकरण .... तथा इसका रजिस्टर्ड कार्यालय .... में है जिसे, इसमें, इसके बाद दूसरे भाग क "दूसरे भाग का पक्षकार" (जिसकी अभिव्यक्ति का अर्थ, जब तक संदर्भ या उसका अर्थ प्रतिकूल न हो, होगा तथा इसमें इसके उत्तराधिकारी तथा नियुक्त शामिल हैं) कहा गया है, के बीच किया गया है तथा इसमें प्रवेश किया गया है।

चूंकि प्रथम भाग का पक्षकार निम्नलिखित ब्योरों सहित कृषि भूमि का स्वामी / किसान है :–

गांव	तहसील तथा जिला	खसरा नम्बर तथा खेवट नम्बर सहित क्षेत्र का वर्णन	कुल भूमि

और चूंकि, दूसरे भाग का पक्षकार कृषि उपज में व्यापार करता है तथा कृषि निवेश तथा तकनीकी जानकारी जैसे कि भूमि की तैयारी, नर्सरी, निषेचन, नाशी जीव प्रबन्धन, सिंचाई, फसल कटाई करने तथा सदृश बातें भी मुहैया करता है।

[1] हरियाणा अधिसूचना संख्या का.आ. 13 / ह.अ. 23 / 1961 / धा. 43 / 2016 दिनांक 23–5–2016 द्वारा प्रतिस्थापित।
[2] हरियाणा अधिसूचनां संख्या 1545–ए.[illegible]–1–2007 / 14293, दिनांक 9–8–2007 द्वारा प्ररूप जोडा गया।

और चूंकि, दूसरे भाग का पक्षकार विशेष रूप से हितबद्ध इससे संलग्न अनुसूची–1 में वर्णित से अधिक कृषि उपज की वस्तुओं में है तथा दूसरे भाग के पक्षकार के अनुरोध पर, प्रथम भाग का पक्षकार इससे संलग्न अनुसूची–1 में वर्णित कृषि उपज की वस्तुओं की खेती करने के लिए सम्मत हो गया है।

और चूंकि, इसके पक्षकार इसमें, इसके बाद प्रकट रीति में निबन्धनों तथा शर्तें लिखित में कम करने के लिए सम्मत है :

निबन्धन तथा शर्तें :

खण्ड 1 :– प्रथम भाग का पक्षकार दूसरे भाग के पक्षकार के लिए खेती करने, पैदावार करने तथा उसे देने के लिए सहमत हो गया है तथा दूसरे भाग का पक्षकार प्रथम भाग के पक्षकार से इससे संलग्न अनुसूची–1 में यथा वर्णित कृषि उपज की वस्तुएं खरीदने के लिए सहमत है।

खण्ड–2 :– इसके पक्षकारों के बीच स्पष्ट रूप से सम्मत है कि यह करारनामा कृषि उपज के लिए है जिसके ब्योरे इसकी अनुसूची–1 में वर्णित है। करारनामे की अवधि .... मौसम/मास/वर्ष के लिए होगी। कथित अवधि की समाप्ति के बाद, यह करारनामा स्वतः समाप्त हो जाएगा।

खण्ड–3 :– यह पक्षकारों के बीच स्पष्ट रूप से सम्मत है कि :

(क) प्रथम भाग का पक्षकार इसकी अनुसूची–1 में वर्णित विशिष्टियों के अनुसार दूसरे पक्ष के पक्षकार के लिए वस्तुओं की खेती करने, पैदावार करने तथा उनकी आपूर्ति करेगा।

(ख) दूसरे पक्ष का पक्षकार अनुसूची–1 में यथा विस्तृत कृषि उपज की खेती करने तथा उत्पादन करने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक तथा कोई अन्य निवेश की आपूर्ति करेगा।

(ग) प्रथम भाग का पक्षकार अनुसूची–1 में यथा विस्तृत भूमि की तैयारी, नर्सरी, निषेचन, नाशीजीव प्रबन्धन, सिचाई, फसल कटाई तथा किसी अन्य के सम्बन्ध हिदायतों/पद्धतियों को अपनाने के लिए सहमत है।

खण्ड–4 :– प्रथम भाग का पक्षकार अनुसूची–1 में अनुबद्ध विशिष्टियों के गुण के अनुसार संविदात्मक मात्रा की आपूर्ति करने के लिए सहमत है तथा अनुसूची–II के अनुसार सुपुर्दगी की लिए प्रस्ताव देने के बाद संविदात्मक उपज का कब्जा लेने के लिए दूसरे पक्ष के पक्षकार को जिम्मेवारी होगी। यदि यहां कृषि उपज की विशिष्टियों के गुण के बारे में कोई विवाद है, तो दोनों में से कोई एक पक्षकार उसके निर्धारण के लिए विशेषज्ञ हेतु समिति को सिफारिश कर सकता है। यदि उपज विशिष्टियों के गुण के अनुसार नहीं पाई जाती है, तो दूसरे पक्ष का पक्षकार सपुर्दगी लेने से अस्वीकार कर सकता है, तथा प्रथम भाग का पक्षकार उपज निम्न अनुसार बेचने के लिए स्वतन्त्र होगाः

(क) परस्पर पुनः बातचीत मूल्य पर दूसरे पक्ष के पक्षकार को; या

(ख) मण्डी प्रांगण में तथा दूसरे पक्ष का पक्षकार उस द्वारा प्रथम पक्ष के पक्षकार को दिए गए अग्रिम, यदि कोई हो, की वसूली के लिए हकदार होगा।

यदि उपज विशिष्टियों के गुण के अनुसार पाई जाती है तथा दूसरे पक्ष का पक्षकार उसके अपने कारण से सुपुर्दगी लेने से अस्वीकार करता है/ असफल रहता है, तो प्रथम पक्ष का पक्षकार मण्डी प्रांगण में कृषि उपज के बेचने के लिए स्वतन्त्र होगा तथा यदि वह संविदात्मक मूल्य से कम मूल्य प्राप्त करता है, तो उस दूसरे पक्ष के पक्षकार को प्रथम पक्ष के पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन के दस दिन के भीतर दूसरे पक्ष के पक्षकार के द्वारा हानि की सीमा तक क्षतिपूरित किया जाएगा। ऐसे आवेदन की एक प्रति समिति को भी पृष्ठांकित की जाएगी। दूसरे पक्ष का पक्षकार ऐसे आवेदन पर की गई कार्रवाई के बारे में समिति को सूचित करेगा। दूसरे पक्ष का पक्षकार प्रथम पक्ष के पक्षकार से उस द्वारा दिए गए अग्रिम नकद/सदृश, यदि कोई हो, काटने के लिए हकदार होगा।

अनुसूची–II के अनुसार संविदात्मक उपज सुपुर्द करने की प्रथम पक्ष के पक्षकार की जिम्मेवारी होगी जिसमें असफल होने पर दूसरे पक्ष का पक्षकार समिति को सूचित करेगा तथा मण्डी प्रांगण से उपज खरीदने के लिए स्वतन्त्र होगा। दूसरे पक्ष का पक्षकार हानि की सीमा तक

क्षतिपूर्ति के लिए विहित प्राधिकारी को सिफारिश कर सकता है।

खण्ड 5 :— दूसरे पक्ष का पक्षकार प्रथम पक्ष के पक्षकार को सुपुर्दगी के समय पर भुगतान करेगा। यदि दूसरे पक्ष का पक्षकार सुपुर्दगी के पन्द्रह दिन के भीतर भुगतान करने में असफल रहता है, तो 18 प्रतिशत की दर से ब्याज प्रथम पक्ष के पक्षकार को देगा।

खण्ड 6:— दूसरे पक्ष का पक्षकार या उसके प्रतिनिधि संविदा की अवधि के दौरान प्रथम पक्ष के पक्षकार द्वारा स्थापित/नामित किसान मंच के साथ नियमित पारस्परिक क्रिया करने के लिए सहमत है।

खण्ड 7 :— दूसरे पक्ष का पक्षकार या उसके प्रतिनिधियों को उनकी लागत पर समय–समय पर अपनाई गई कृषि पद्धति तथा उपज के गुण का मानीटर करने के लिए प्रथम पक्ष को पक्षकार के परिसरों/खेतों में प्रवेश करने का अधिकार होगा।

खण्ड 8 :— दूसरे पक्ष के पक्षकार को न तो प्रथम पक्ष के पक्षकार की भूमि/सम्पति के स्वत्व, स्वामित्व, कब्जे के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कोई अधिकार होगा न ही वह, किसी भी रूप में, इस कारनामें के जारी रहने के दौरान किसी अनय व्यक्ति/सस्था को रेहन, पट्टा, उप–पट्टे या अन्तरण के रूप में प्रथम पक्ष के पक्षकार की सम्पति को हस्तान्तरित करेगा।

खण्ड 9:— यह सम्मत है कि उसके सम्मत औचित्यों से अलग यह करारनामा पंजाब कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों द्वारा शासित होगा।

खण्ड 10:— यदि दोनों पक्षकार संविदा कृषि करार के निबन्धनों तथा शर्तों को बदलना चाहते है, तो उसे अपेक्षा के अनुसार समय–समय पर दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में सम्बन्धित रजिस्टरिंग प्राधिकारी द्वारा सम्पन्न किया जाएगा।

खण्ड 11 :— इस संविदा का विघटन, समापन या रद्दकरण दोनों पक्षों की सहमति से सम्पन्न किया जाएगा। ऐस विघटन, समापन या रद्दकरण ऐसे विघटन, समापन या रद्दकरण के पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर रजिस्टरिंग प्राधिकारी को संसूचित किया जाएगा जिसमें असफल होने पर रजिस्टरिंग प्राधिकारी पक्षकारों पर उपयुक्त लागत अधिरोपित करने के लिए हकदार होगा।

खण्ड 12 :— संविदा कृषि करार के उल्लंघन या इसके दोनों पक्षकारों के बीच उत्पन्न किसी विवाद या मतभेद की घटना में या करार के अधीन अधिकारों या बाध्यताओं के सम्बन्ध में या दूसरे के विरूद्ध एक पक्षकार के किसी दावे, आर्थिक या अन्यथा के सम्बन्ध में या इस करारनामें के किन्हीं निबन्धनों तथा शर्तों की व्याख्या तथा प्रभाव के सम्बन्ध में, ऐसा विवाद या मतभेद नियमों के अधीन विहित प्राधिकारी के पास भेजा जाएगा।

खण्ड 13 :— इस करारनामें के पते के परिवर्तन के मामले में, इसे पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर दूसरे पक्ष को तथा सम्बन्धित प्राधिकारी को भी सूचित करना चाहिए।

खण्ड 14 :— दूसरे पक्ष का पक्षकार प्रमाणित करेगा कि उसने रजिस्ट्रेशन संख्या .... दिनांक .... द्वारा सम्बन्धित प्राधिकारी के पास स्वयं को रजिस्टर्ड करवा लिया है तथा सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा उद्गृहीत फीस प्रथम पक्ष के पक्षकार को भुगतान की गई राशि से किसी भी प्रकार से किसी रीति में नहीं काटी जाएगी।

खण्ड 15 :— इसका प्रत्येक पक्षकार इस करारनामें के अधीन अपनी जिम्मेवारियों के निष्पादन में दूसरे के साथ परिश्रमपूर्ण रूप से नेकनीयत तथा इमानदारी से कार्य करेगा तथा दूसरे के हित को जोखिम में डालने के लिए कुछ भी नहीं करेगा।

गवाह में उसके पक्षकार पहले उपरोक्त वर्णित .... दिन .... मास तथा .... वर्ष को यह करार हस्ताक्षरित किया गया है।

गवाह	हस्ताक्षर ....
हस्ताक्षर	नाम ....
नाम	तिथि ....
तिथि	पता ....
पता	प्रथम पक्षकार ....

(ऽ)

गवाह ....
हस्ताक्षर ....
नाम ....
तिथि ....
पता ....

हस्ताक्षर ....
नाम ....
तिथि ....
पता ....
दूसरा पक्षकार ....

अनुसूची – 1

क्रम संख्या	कृषि उपज का नाम	दूसरे पक्ष द्वारा दिए जाने वाले निवेश	अनुबन्ध–1 के अनुसार दूसरे पक्ष द्वारा दिए जाने वाले कार्य का पैकेज	ग्रेड	विशिष्टियां	मात्रा	कीमत / दर	मूल्य	कोई अन्य

अनुसूची –II

क्रम संख्या	कृषि उपज का नाम	सुपुदगी की तिथि	पक्षकार का नाम जो कृषि उपज का परिवहन करेगा तथा परिवहन की लागत वहन करेगा।	सुपुर्दगी का लगभग समय